Con. 3.5.5.47
750

अंक 5
संख्या 5

शुक्रवार,
22 अगस्त,
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण 1
2. संघ-अधिकार-समिति की रिपोर्ट 1

भारतीय विधान-परिषद्

शुक्रवार, 22 अगस्त, सन् 1947 ई॰

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दस बजे आरम्भ हुई। माननीय डा॰ राजेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष थे।

सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण

निम्न सदस्यों ने शपथ ली:

(1) श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन (पश्चिमी बंगाल: जनरल)।

(2) माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पंत (संयुक्त प्रान्त: जनरल)।

संघ-अधिकार-समिति की रिपोर्ट

***अध्यक्ष:** अब हम संघ-अधिकार-समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट की सूची 1 की मदों पर बहस जारी करेंगे। हम मद 1 को लेते हैं। सर रामास्वामी मुदालियर, सर वी॰टी॰ कृष्णमाचार्य, श्री श्रीनिवासन और श्री वेंकटाचार्य के संशोधन की सूचना मिली हुई है।

मद 1

***सर वी॰टी॰ कृष्णमाचारी** (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

मद 1 में ''उसके'' (देयरआफ) शब्द के बाद के सब शब्द रद्द कर दिये जायें।

मेरा कारण यह है कि ''साधारणत: (जनरली) से आरम्भ होने वाला शब्द-समूह अनावश्यक है। उसमें स्पष्टीकरण है। मेरा ख्याल है कि इन शब्दों को आस्ट्रेलियन हाईकोर्ट के किसी निर्णय से लिया गया है। मुझे विषयों की सूची में ये वर्णनात्मक शब्द जोड़ना अनावश्यक जान पड़ता है। यही कारण है कि हमने इस संशोधन की सूचना दी है। हमें शब्दों के सार पर कुछ भी आपत्ति नहीं है, किन्तु हमारे विचार में सूची में ऐसा वर्णनात्मक स्पष्टीकरण असंगत है।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[सर वी.टी. कृष्णमाचारी]

(सर्वश्री के॰ सन्तानम्, नजीरुद्दीन अहमद और टी॰ए॰ रामलिंगम चेट्टियर ने क्रमशः सूची 1 में संख्या 5, सूची 4 में संख्या 4 और सूची 1 संख्या 6 के अपने संशोधन उपस्थित नहीं किये।)

***अध्यक्षः** इस मद के और किसी संशोधन की सूचना मुझे नहीं मिली है। यदि कोई उपस्थित संशोधन पर बोलना चाहे तो बोल सकता है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगालः मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम से जिस संशोधन की सूचना मिली है वह वैसा ही है जैसा अभी उपस्थित किया जा चुका है, यद्यपि उसके शब्द भिन्न हैं। मेरा निवेदन है कि संशोधन द्वारा जिन शब्दों को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया है वे अनावश्यक हैं। मद 1 में ''रक्षा' शब्द पर्याप्त रूप से व्यापक है। वर्णन के लिये अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि सूची की अन्य अनेक मदों से स्पष्ट है–उन मदों से जो रिपोर्ट की सूची में हैं और उन मदों से भी जो भारतीय शासन-कानून से संबंधित सूची में हैं। मैं एक या दो उदाहरण दूंगा। मद 3 ''सेंट्रल इंटेलीजेंस ब्यूरो'', मद 6 ''रक्षा उद्योग'', मद 7 ''नौसैनिक, सैनिक तथा वायु सैनिक निर्माण-कार्य।'' ऐसी ही अन्य असंख्य मदें हैं। मदों से केवल नामों का ही उल्लेख किया गया है। ऐसे विषयों में अमल में आने वाले एक सुप्रसिद्ध सिद्धान्त के अनुसार उन्हें पूर्णरूप से प्रभावपूर्ण बनाने के लिये जिन अधिकारों की आवश्यकता है वे सबके सब इन शब्दों के अर्थ में निहित हैं। ये सारगर्भित शब्द हैं और इतने स्पष्ट हैं कि उनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इन विषयों के लिये सभी आवश्यक बातें अप्रत्यक्ष रूप से मान ली गयी हैं। ऐसी परिस्थिति में फालतू शब्दों के निकाले जाने पर यह मद भी अन्य मदों के समकक्ष आ जायेगी। इसलिये फालतू बातों को निकालने और साथ ही समानता लाने के विचार से मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

***श्री अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रासः जनरल): महोदय, इन सूचियों में आने वाली बातों का विस्तार से स्पष्टीकरण कोई असाधारण बात नहीं है। मैं परिषद् का ध्यान भारतीय शासन-कानून, 1935 की सूची 1 की मद 33 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कारपोरेशन केन्द्रीय विषय माने गये हैं। इस संबंध में निम्न भाषा का प्रयोग किया गया है–''कारपोरेशन–व्यापारिक कारपोरेशनों का नियंत्रण तथा उनका

समाप्त किया जाना, जिसमें बैंक, बीमा कम्पनी तथा आर्थिक कारपोरेशन सम्मिलित हैं, किन्तु संघ में सम्मिलित होने वाली किसी रियासत द्वारा नियंत्रित अथवा उसके अपने कारपोरेशन सम्मिलित नहीं हैं''। कारपोरेशन से तात्पर्य क्या है इसका स्पष्टीकरण भली-भांति किया गया है।

जिन विभिन्न देशों में संघीय विषयों में ''रक्षा'' को सम्मिलित किया गया है उनमें इस मामले को अदालतों तक ले जाया गया है। मतभेद उत्पन्न हुये और अदालतों को ''रक्षा'' शब्द तक की व्याख्या करनी पड़ी। मेरे सामने एक मुकदमे की नजीर मौजूद है (आस्ट्रेलियन ब्रेड केस 21 सी॰एल॰आर॰ 433), जिसमें ग्रिफिथ सी॰जे॰ ने कहा कि ''रक्षा'' शब्द में उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है, जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट के अधिकार के अनुसार या राज्य के शाही विशेषाधिकार के अनुसार हुये हों। अन्य बातों के अतिरिक्त उसमें शान्ति के समय युद्ध की तैयारी को तथा ऐसे किसी भी कार्य को सम्मिलित किया जा सकता है, जिसे युद्ध करने और शत्रु को पराजित करने के लिये किया जाये। महोदय, यह स्पष्टीकरण या निर्णय अदालत में बहस के बाद हो पाया था। क्या हमें फिर इस पृष्ठपोषित मार्ग से चलना पड़ेगा? महोदय, मेरा ख्याल है कि यदि संशोधन के प्रस्तावक को कोई आपत्ति न हो तो इन मदों को सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान कर दी जाये। आपत्ति केवल यही है कि इसकी भाषा सुन्दर नहीं है। परन्तु हम यहां साहित्य का सृजन नहीं कर रहे हैं। यह तो कानून है। इसमें विशिष्ट लक्ष्य की ही तरफ ध्यान रखा जाता है। जहां भी संदेह से बचना सम्भव हो वहां अवश्य बचना चाहिये।

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास: जनरल): जिन शब्दों के छोड़े जाने का सुझाव उपस्थित किया गया है उन्हें सम्मिलित करने के कारण पर प्रस्तावक महोदय ने प्रकाश डाला है और श्री अनन्तशयनम आयंगर ने भी उसका स्पष्टीकरण किया है। इस संबंध में और कुछ कहना मेरे लिये शेष नहीं रहा है। मेरे ख्याल में सब कुछ मिलाकर उत्तम तो यही है कि इस तरह के प्रश्न पर अदालतों को दूसरा मत स्थिर करने का अवसर ही न दिया जाये। जैसा कि हम सभी मानते हैं, इन शब्दों द्वारा जिस विचार को प्रकट किया गया है, उसके ''रक्षा'' शब्द के साथ समावेश करने की आवश्यकता है। इसलिये इन शब्दों को मद में रहने देना ही उत्तम होगा। यदि माननीय प्रस्तावक महोदय को आपत्ति न हो तो मैं उनसे यह संशोधन वापस लेने का अनुरोध करूं।

***अध्यक्ष:** प्रस्तावक अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं। क्या परिषद् उन्हें इसकी अनुमति देती है?

[अध्यक्ष]

परिषद् की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया और सूची 1 की मद 1 स्वीकार कर ली गई।

मद 2

***अध्यक्ष:** सर वी०टी० कृष्णमाचार्य के नाम से एक और संशोधन है।

***सर वी०टी० कृष्णमाचारी:** अध्यक्ष महोदय, मैं मद 2 के निकाल दिये जाने का प्रस्ताव करता हूं। मेरा कारण यह है कि प्राप्त कर लेना दूसरे शब्दों में उस सम्पत्ति पर अस्थायी रूप से अधिकार कर लेना है। मद 43 में संघ के लिये सम्पत्ति पर अधिकार जमाने की व्यवस्था है और मद 2 में जो कुछ कहा गया है वह इसमें आ ही जाता है। मुझे इसमें अनावश्यक पुनरावृत्ति दिखायी देती है। इसीलिये मैं मद 2 के निकाले जाने का प्रस्ताव करता हूं। जहां तक युद्ध-काल का संबंध है, मद के द्वारा सम्पत्ति पर अधिकार करने के समस्त अधिकार दिये गये हैं।

***अध्यक्ष:** कुछ अन्य संशोधन भी हैं। मेरा ख्याल है कि हम पहले इस पर विचार कर लें, क्योंकि संशोधन में समस्त मद को निकाल देने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे संशोधनों पर बाद में विचार किया जाये, जिनमें कुछ जोड़ने या घटाने के लिये कहा गया हो। क्या कोई इस संशोधन के संबंध में कुछ कहना चाहता है?

***श्री के०एम० मुंशी** (बम्बई: जनरल): अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन भ्रम पर आधारित है—यदि मैं ऐसा कह सकूं। सम्पत्ति पर कब्जा करने का अधिकार रक्षा संबंधी अधिकार में समाविष्ट माना गया है और इंग्लैंड में यह सम्राट का ही विशेषाधिकार है। भारत में यह प्रश्न पिछले महायुद्ध के दिनों में उस समय उठा जब केन्द्रीय सरकार ने सम्पत्ति पर कब्जा करने के अपने अधिकार का उपयोग किया और उन्हीं दिनों यह प्रश्न भी उठाया गया कि युद्ध के दिनों में सम्पत्ति पर कब्जा कर सकना रक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत है और चूंकि रक्षा का विषय केन्द्रीय धारासभा के व्यवस्थापन क्षेत्र के बाहर है, इसलिये भारत रक्षा-कानून में सम्पत्ति पर कब्जा करने के अधिकार को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसे हाईकोर्टों ने काफी अंश में मान भी लिया और तब पार्लियामेंट का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया। इसलिये कहा जा सकता है कि संघ को मद 1 के अंतर्गत रक्षा का अधिकार मिला होने के कारण युद्ध-काल में वह चल तथा अचल सम्पत्ति पर अधिकार कर सकेगा, परन्तु शांतिकाल में और ऐसे समय जबकि युद्ध की

तैयारियां हो रही होंगी, सम्पत्ति पर कब्जा करने के अधिकार का प्रयोग रक्षा के अंतर्गत किया जा सकना संदिग्ध ही है। इस संबंध में संदेह का निराकरण करने के विचार से ही मद 2 को विशेष रूप से रखा गया है। जैसा कि मेरे मित्र श्री अनन्तशयनम् आयंगर बहस के आरम्भ में कह चुके हैं, इनमें से कुछ मदों के विषय में पहले ही असंख्य निर्णय हो चुके हैं और हम नहीं चाहते कि इस प्रश्न पर बार-बार मुकदमेबाजी हो, जिसमें मुकदमेबाज जनता तथा मेरे पेशे के सदस्यों को खुशी हो। इसलिये इस अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख और उसमें ट्रेनिंग देने तथा जंगी अभ्यास का सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि शान्ति के समय भी सम्पत्ति पर कब्जा करने के अधिकार के प्रयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। यही इस मद का उद्देश्य है और मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र सर वी॰टी॰ कृष्णमाचार्य अपना संशोधन अवश्य वापस ले लेंगे।

***श्री हिम्मतसिंह के॰ महेश्वरी** (सिक्किम और कूचबिहार ग्रुप): अध्यक्ष महोदय, युद्धकाल में सम्पत्ति पर कब्जा कितने ही स्थानों में एक विशेष उपाय के रूप में किया जाता था। परन्तु उसके कारण कितने ही व्यक्तियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी और बहुत से मामलों में अधिकार का दुरुपयोग भी किया जाता था। युद्धकाल में अधिकार के दुरुपयोग को सहा भी जा सकता था किन्तु अब यही अधिकार प्रत्येक स्थानीय 'हिटलर' को दिया जाने वाला है, जो उसका प्रयोग ऐसे हरएक आदमी के विरुद्ध करेगा, जिससे वह नाराज हो। महोदय, मेरा सुझाव है कि साधारणजन की सुरक्षा और स्वाधीनता के हित में इस मद को अस्वीकार कर दिया जाये।

***माननीय श्री हुसैन इमाम** (बिहार: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, रक्षा के लिये सम्पत्ति पर कब्जा कर सकना एक ऐसा अधिकार है, जो हमें संघ की स्थिरता तथा शक्ति बनाये रखने के लिये केन्द्र को देना ही चाहिये। परन्तु, पिछले वक्ता ने जो कुछ कहा है उसकी यथार्थता में भी कुछ संदेह नहीं है। जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था और युद्ध समाप्त होने के दो वर्ष बाद भी कितनी ही सम्पत्ति पर सरकार का कब्जा है। निस्संदेह पिछली सरकार के जमाने में इसका बड़ा कुप्रबन्ध रहा। परन्तु पिछली सरकार के कुप्रबंध के कारण यह नहीं हो सकता कि हम अपने प्रतिनिधियों से समय आने पर उत्तम प्रबंध की आशा नहीं करें।

मैं यहां एक सुझाव करना चाहता हूं। रक्षा के लिये सम्पत्ति पर अधिकार करना आवश्यक होने के कारण उसे केन्द्रीय सूची में रखना ठीक है। मेरा सुझाव है कि सम्पत्ति पर कब्जा शांति-कालीन उद्देश्यों के लिये भी होना चाहिये। ऐसा समय आता है, जब शांतिकाल में भी भूमि पर कब्जा करना पड़ता है। अभी केन्द्रीय

[माननीय श्री हुसैन इमाम]

तथा प्रांतीय सरकारों को विभिन्न प्रदेशों के शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिये सरकार को सम्पत्ति पर कब्जा करने का अधिकार होना चाहिये। इसलिए मैं मसविदा बनाने वालों से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसी एक धारा उस सूची में भी जोड़ दें, जिसमें केन्द्र तथा प्रादेशिक इकाइयों को एक साथ अधिकार दिये गये हैं।

***श्री डी०एच० चंद्रशेखरिया** (मैसूर): अध्यक्ष महोदय, उपस्थित संशोधन बहुत ही तर्कसंगत है। श्री के०एम० मुंशी ने संशोधन का विरोध किया है और यह नहीं बताया है कि सुझाव सम्मिलित करने का समर्थन क्यों किया जाये। उन्होंने एक ऐसे मामले का हवाला दिया, जो युद्ध-काल में हुआ था, किंतु उन्होंने किसी ऐसे मामले का हवाला नहीं दिया, जो शांति-काल में हुआ हो। जिस प्रकार कब्जा करने का यहां प्रस्ताव किया गया है उसमें संबंधित प्रांत या रियासत से पहले सलाह तक लेने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। यहां तक कि 1935 के भारतीय शासन कानून में संघीय विषयों की सूची में इस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है। उस कानून के खंड 127 में कहा गया है कि संघ की तरफ से जब भी भूमि पर कब्जा किया जाये तो ऐसा कुछ शर्तों के साथ किया जाये और क्षतिपूर्ति के रूप में भी कुछ दिया जाये। परन्तु उपस्थित प्रस्ताव में सीधे भूमि पर अंधाधुंध कब्जा कर लेने का सुझाव किया गया है और यह व्यवस्था भी नहीं की गई है कि ऐसा करने से पहले संबंधित प्रादेशिक इकाई को इसकी सूचना दी जाये। इन सब कारणों से मैं परिषद् से प्रार्थना करता हूं कि वह सर वी०टी० कृष्णमाचार्य का संशोधन स्वीकार कर ले।

***श्री अनन्तशयनम् आयंगर:** महोदय, संशोधन के प्रस्तावक की आपत्ति इस मद के संबंध में यह नहीं है कि यह अनावश्यक या असुविधाजनक है, बल्कि उनकी आपत्ति तो यह है कि यह विषय बाद के एक नियम-सूची की मद 43-के अंतर्गत आ जाती है। यह मद है-''संघ के लिये सम्पत्ति पर कब्जा।'' उनके मत में यह मद अधिक व्यापक है और इसीलिये सूची में मद 2 को पृथक स्थान नहीं मिलना चाहिये। उनकी यही आपत्ति है। परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि पृथक मद रखना आवश्यक है। सम्पत्ति पर रक्षा की दृष्टि से कब्जा करना उस पर संघ के साधारण कार्य के लिये कब्जा करने से भिन्न है। यदि पहली अवस्था में केवल भूमि पर कब्जा होता है तो दूसरी अवस्था में कब्जा प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति पर हो सकता है।

यदि सम्पत्ति पर किसी विशेष उद्देश्य से कब्जा होता है तो उस उद्देश्य की कोटि भी भिन्न होती है। कभी-कभी खतरनाक या हानिकर व्यापार करने के कारण भी सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया जाता है और स्थानीय बोर्डों को ऐसा करने के लिये विशेष अधिकार दिये जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि रक्षा संबंधी तथा अन्य उद्देश्यों में भेद करना चाहिये। मद 43 में इसकी व्यवस्था करके परिषद् का ध्यान इसी भेद की ओर आकृष्ट किया गया है।

पिछले वक्ता ने कहा है कि 1935 में भारतीय शासन कानून के अंतर्गत प्रांतीय सरकारें क्षतिपूर्ति की रकमें देकर संघ के लिए सम्पत्ति पर अधिकार कर सकती हैं। मुझे विश्वास है कि यहां भी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था अवश्य की जायेगी और किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति पर हर्जाना दिए बिना कब्जा न किया जायेगा। आधारभूत अधिकारों में कहा भी जा चुका है कि क्षतिपूर्ति की रकम के भुगतान के बिना किसी भी सम्पत्ति पर कब्जा नहीं किया जायेगा। इसलिए इस मद को सूची में रहने देना चाहिये।

***श्री बी॰ पोकर साहब बहादुर** (मद्रास: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, अब यह प्राय: स्वीकार कर लिया गया है कि इस मद का विषय संघीय सूची की मद 1 या मद 43 के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न है कि मद 2 को रखा जाये या निकाल दिया जाये और बेकार होने पर भी क्या उसे रहने न दिया जाये? मेरा मत तो यह है कि मद 1 के अंतर्गत आ जाने के कारण इसे पृथक मद के रूप में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, यदि इस मद को बने रहने दिया जाये तो यह समस्या उठ खड़ी होगी कि क्या मद 1 में उसकी कितनी ही बातें नहीं आ जातीं। यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि उसकी एक बात ही मद 2 के रूप में आती है, किंतु अन्य बातें मद 1 के अंतर्गत नहीं आतीं। इसलिए कहा जा सकता है कि मद 2 को पृथक मद के रूप में बनाये रखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मद 1 के अंतर्गत आ जाती है। इसलिए महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इसे रद्द कर दिया जाये।

***श्री एस॰वी॰ कृष्णमूर्ति राव** (मैसूर): महोदय, मेरा निवेदन है कि मद 2, मद 1 या मद 43 में से किसी के अंतर्गत नहीं आती है। भारत जैसे बड़ी सेना वाले देश को अपनी सेना उचित अवस्था में रखने के लिये उसे विभिन्न भौगोलिक अवस्थाओं तथा अनेक प्रकार की जलवायु में अभ्यास कराना पड़ेगा। इसके लिए सेना को देश के विविध भागों में तथा विभिन्न ऋतुओं में भूमि लेनी पड़ेगी।

[श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव]

इसलिए केन्द्र के लिए यह अधिकार बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि रक्षा एक केन्द्रीय विषय है। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

मि. तजम्मुल हुसैन (बिहार: मुस्लिम): मिस्टर प्रेसीडेंट, नम्बर दो यह है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर को जिस वक्त अपने को बचाने यानी डिफेन्स आफ पावर की जरूरत हो वह इंडियन यूनियन में जहां पर चाहे, जमीन ले सकती है, या रेक्यूजीशन कर सकती है। इसके ऊपर मेरे लायक दोस्त की तरफ से एक अमेंडमेंट पेश हुआ है कि यह आइटम हटा दिया जाये। मिस्टर प्रेसीडेंट, मेरी अक्ले-नाकिस में यह बात नहीं आई कि ऐसा अमेंडमेंट क्यों पेश हुआ? अगर किसी वक्त में इंडिया पर धावा या इन्वेजन हो जाये और इंडिया की जरूरत हो या मसलन इंडिया में ट्रावनकोर पर धावा बोला जाये जिसने इंडियन यूनियन ज्वाइन कर लिया है और जरूरत है कि वहां पर बेस बनाया जाये तो ऐसी हालत में क्या हम अपने सेंट्रल लेजिस्लेचर को पावर न देंगे कि वहां जमीन एक्वायर करें? मुझको सख्त ताज्जुब है कि ऐसा अमेंडमेंट क्यों पेश हुआ। मेरे ख्याल में जरूर सेंट्रल लेजिस्लेचर को यह पावर दिये जायें कि जहां पर वह चाहे मनूवर के लिये जमीन रिक्यूजीशन कर सकती है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** अध्यक्ष महोदय, मैं मद 2 की भावना का—कि केन्द्र के हाथ में अपने उद्देश्य-पूर्ति के लिए अधिकार रहें—समर्थन करता हूं, किंतु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह धारा अनावश्यक है। यह मद 1 में भली-भांति आ गया है। भूमि पर बाकायदा अधिकार जमा लेने और कुछ समय के लिए उसे प्राप्त करने में बहुत अंतर है। इसलिए मेरे विचार से मद 2 मद 43 के अंतर्गत नहीं आती, किंतु वह मद 1 के अंतर्गत अवश्य आ जाती है। जब एक बार हम अधिकार का विस्तार करने लगते हैं तो यह विस्तार अधिकाधिक होने लगता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं, जो केवल चुने हुए शब्दों से ही प्रकट की जा सकती हैं। इसलिए यदि हम इस अधिकार की व्याख्या करते हैं तो हमें और भी कितने ही सहायक अधिकारों की व्याख्या करनी पड़ती है। इससे एक कुचक्र चल पड़ता है। रक्षा में शांति-काल की व्यवस्था भी आ जाती है। यदि इसमें कोई संदेह है तो वह मद 15 से दूर हो जायेगा। इन सभी कारणों से मैं निवेदन करता हूं कि मद 2 व्यर्थ तथा अनावश्यक है और उसे अस्वीकार कर देना चाहिये।

***माननीय श्री एन० गोपालस्वामी आयंगर:** महोदय, मेरी धारणा है कि परिषद् ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि संघ की धारासभा को रक्षा के लिये भूमि प्राप्त करने के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होना चाहिये। संशोधन के पक्ष में जो कुछ कहा गया है वह यही है कि यह अधिकार मद 43 या मद 1 के अंतर्गत पहले ही प्राप्त है। जैसा कि परिषद् जानती है, मद 43 का संबंध संघ के लिये भूमि पर अधिकार करने से है और उसे यह भी पता है कि भारत-रक्षा कानून के एक ऐसे खंड की व्याख्या करते हुये, जिसका संबंध भूमि को प्राप्त कर लेने से था, कतिपय हाईकोर्टों ने मत ग्रहण किया था कि प्राप्त करना अधिकार करने के अंतर्गत नहीं आता। ऐसी अवस्था में जिन सम्पत्तियों को 3 वर्ष के सीमित काल के लिये प्राप्त कर लिया गया था उनके संबंध में कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार केन्द्र को प्रदान करने के लिये उचित उपाय करना आवश्यक था—विशेषकर ऐसी अवस्था में जबकि युद्ध समाप्त हो चुका था। परन्तु यहां तो हम एक ऐसे विधान पर सोच-विचार कर रहे हैं, जो स्थायी होगा। महोदय, यह तो माना ही जायेगा कि भूमि प्राप्त करने की आवश्यकता युद्ध अथवा अन्यथा विशेष काल में ही रक्षा-कार्यों के लिये पड़ेगी, जिनमें सैनिकों का शिक्षण तथा अभ्यास दोनों ही सम्मिलित हैं। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जब ऐसा करने की आवश्यकता पड़े तो संघ की धारा-सभा को ऐसा कानून बना सकने का अधिकार रहे। यदि मद 1 से अधिकार प्राप्त किया गया है—मैं पहले ही कह चुका हूं कि मद 43 से अधिकार प्राप्त करने के संबंध में संदेह प्रकट किया जा चुका है—तो मद 2 बिल्कुल अनावश्यक हो सकती है, परन्तु हमारे सामने यह तथ्य मौजूद है कि ऐसी कितनी ही मदें, जिनका विस्तार से उल्लेख किया गया है, मद 1 के अंतर्गत लायी जा सकती थीं फिर भी सूची में उन्हें विस्तार से दिया गया है। प्रश्न उठता है कि जब आपने इतनी मदों को स्वीकार कर लिया है तो उनमें भूमि प्राप्त करने की मद जोड़ देने में क्या हानि है—यह मद कि रक्षा के साधारण अधिकार के अंतर्गत भूमि प्राप्त करने की बात भी सम्मिलित कर ली जाये। संघ के विषयों की सूची में यह अधिकार भी रहेगा। शान्ति के समय में इस अधिकार का प्रयोग किया जाये या नहीं और भूमि प्राप्त करने के संबंध में कानून बनाया जाये या नहीं—यह बात हमें संघ की भावी धारा-सभा पर छोड़ देनी चाहिये। यह हो सकता है कि सम्पत्ति प्राप्त कर लेने का जो कानून बनाया जाये उसमें कुछ ऐसी शर्तें रख दी जायें, जिनके कारण सम्पत्ति को अनावश्यक रूप से प्राप्त न किया जा सके। परन्तु इस कारण कि कुछ अवस्थाओं में सम्पत्ति प्राप्त करना अनावश्यक होगा—यह नहीं कहा जा सकता कि इस मद को सूची से बिल्कुल ही निकाल दिया जाये। एक और भी बात की चर्चा मैं

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

करना चाहता हूं। यह मानते हुये कि विरोधी मत ही ग्रहण किया जाये और यह माना जाये कि भूमि को प्राप्त करने की बात इस सूची की मद 1 के अंतर्गत नहीं आती तो स्थिति क्या होगी? स्थिति यह होगी कि यह मद तीनों सूचियों में से किसी में नहीं होगी और इसलिये वह एक अवशिष्ट मद हो जायेगी और इस मद के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार केन्द्र को प्राप्त होगा। मैं इस स्थिति को भली-भांति समझता हूं कि अवशिष्ट अधिकारों की मात्रा तथा प्रान्तों व केन्द्र के मध्य अधिकारों के विभाजन के संबंध में हमारे द्वारा किये भेद के कारण यदि यह मद अवशिष्ट मद हो जाती है तो जहां तक रियासतों का संबंध होगा वे अपने यहां इस मद के संबंध में कानून बनाने के अधिकार का दावा कर सकती हैं। किन्तु रियासतों के प्रतिनिधियों ने जो संशोधन उपस्थित किया है आखिर उसका क्या प्रभाव होगा? यदि मद हटा ली जाती है तो संघ के लिये कुछ परिस्थितियों और कतिपय संकटों के समय इस अधिकार की आवश्यकता पड़ेगी। तब हम अपने सभी तर्कों द्वारा केन्द्र की तरफ से यह सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे कि रक्षा के साधारण अधिकार के अंतर्गत सम्पत्ति प्राप्त करना आवश्यक है और इसलिये हमें इस संबंध में कानून बनाना ही पड़ेगा। इसलिये विचारधारा का झुकाव इस मद को संघ की सूची में बने रखने के पक्ष में है और जब भी कभी इस मद के अनुसार कोई कानून बनाया जाये तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाये कि इस अधिकार का अनावश्यक रूप से प्रयोग न किया जाये। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये जोर न दिया जाये।

***सर वी०टी० कृष्णमाचारी:** इस संशोधन में मुख्य बात यह कही गयी है कि युद्धकाल में सम्पत्ति प्राप्त करने के जितने भी अधिकार की आवश्यकता हो वह अवश्य दिया जाये और मद 1 के अंतर्गत दिया भी गया है। परन्तु सार्वजनिक हित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि शान्ति के समय भूमि-प्राप्ति कानून के अंतर्गत ही इस अधिकार का उपयोग किया जाये। यह तो सार्वजनिक नीति का प्रश्न है कि हम शान्ति के समय सम्पत्ति प्राप्त करने के अधिकार का प्रयोग चाहते हैं या नहीं? इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि शांतिकाल में यदि सैनिकों की ट्रेनिंग या अभ्यास के लिये भूमि की आवश्यकता हुई तो भूमि प्राप्त करने की साधारण विधि से काम लेना चाहिये।

***मि० तजम्मुल हुसैन:** महोदय, मुझे एक नियम संबंधी आपत्ति है। क्या प्रस्तावक द्वारा उत्तर देने के उपरान्त कोई भाषण हो सकता है? किसी को उत्तर देने का अधिकार नहीं है। महोदय, मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

***अध्यक्षः** मेरा ख्याल था कि श्री वी॰टी॰ कृष्णमाचार्य संशोधन वापस ले रहे हैं। इसी कारण उन्हें बोलने की अनुमति दी गयी थी।

***सर वी॰टी॰ कृष्णमाचारीः** महोदय, मैं संशोधन स्वीकार किये जाने पर अधिक जोर नहीं देना चाहता।

***अध्यक्षः** मेरा अनुमान ठीक ही था। वे संशोधन स्वीकार किये जाने पर अधिक जोर नहीं देना चाहते।

***मि. तजम्मुल हुसैनः** तब मैं अपनी आपत्ति वापस लेता हूं।

***अध्यक्षः** संशोधन वापस ले लिया गया। मेरा ख्याल है कि परिषद् उन्हें ऐसा करने की अनुमति देती है।

संशोधन परिषद् की अनुमति से वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** कुछ अन्य संशोधन भी हैं, जिनकी सूचना दी गयी है।

(सर्वश्री के॰ संतानम्, मोहनलाल सक्सेना, अनन्तशयनम् आयंगर और एन॰ माधव राव ने अपने संशोधन उपस्थित नहीं किये।)

***अध्यक्षः** मेरे विचार में और कोई संशोधन शेष नहीं है। अब मैं मूल मद पर मत लेता हूं।

मद 2 स्वीकार कर ली गयी।

मद 3

***अध्यक्षः** अब हम मद 3 को लेते हैं। मेरे ख्याल में मद 3 का कोई संशोधन नहीं है।

***श्री के॰ सन्तानम्** (मद्रासः जनरल): महोदय, मैं मद 3 के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। 'सेंट्रल इंटेलीजैंस ब्यूरो' उपयुक्त विषय नहीं है। 'सेंट्रल इंटेलीजैंस' विषय होना चाहिये। व्यवस्थापन अधिकार ब्यूरो तक ही क्यों सीमित रहे? मुझे क्षेत्र को सीमित करने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। मैं सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं कि अंतिम शब्द छोड़ दिया जाये तो ''सेंट्रल इंटेलीजेंस'' उपयुक्त विषय हो सकता है।

***अध्यक्षः** श्री गोपालस्वामी आयंगर, यह सुझाव उचित जान पड़ता है।

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगर:** मसविदे पर विचार करते समय हम इसका ध्यान रखेंगे।

***अध्यक्ष:** तब मैं मद 3 पर मत लेता हूं।

मद 3 स्वीकार कर ली गयी।

मद 4

***अध्यक्ष:** अब हम मद 4 पर विचार आरम्भ करते हैं।

(सर्वश्री के॰ सन्तानम्, एच॰वी॰ पातस्कर और नजीरुद्दीन अहमद ने अपने नाम के संशोधन वापस ले लिये।)

***श्री हिम्मतसिंह के॰ महेश्वरी:** महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

मद 4 के स्थान पर निम्न शब्द रखे दिये जायें:

''रक्षा तथा परराष्ट्र विषय संबंधी राज्य के कारणों के लिये किसी प्रान्त में नजरबंदी।'' 1935 के भारतीय शासन कानून की सूची 1 में जो मद 1 का अंश है अब वही मद 4 है। कानून में मद इस प्रकार है–''रक्षा या परराष्ट्र संबंधी राज्य के कारणों के लिये या भारतीय रियासतों से संबंध रखने वाली सम्राट की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये ब्रिटिश भारत में नजरबंदी।'' महोदय, यह स्पष्ट है कि इस मद का संबंध केवल ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों से है, संघ में सम्मिलित होने वाली रियासतों से नहीं। कारण यह है कि यदि किसी को कोई कार्य करने से रोकने के लिये नजरबंद करने का अधिकार रियासतों के क्षेत्र में केवल संघ-सरकार को रहे तो रियासतें संकटकाल उपस्थित होने पर स्वयं कोई निवारक कार्रवाई तुरन्त करने में असमर्थ रहेगी। प्रस्तुत मद के द्वारा संघ के सभी प्रदेशों तक इस अधिकार के विस्तार का प्रयत्न किया गया है और इस हद तक रियासतों की स्थिति अनावश्यक रूप से कठिन हो जाती है और उनकी शासन-व्यवस्था में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप होता है।

महोदय, एक अन्य जिस आवश्यक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि इस मद में उन परिस्थितियों को अस्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है जिनमें नजरबंदी का आदेश दिया जा सकता है। परिस्थितियों का सार ''राज्य के कारणों के लिये'' शब्दों में दिया गया है। परन्तु इसमें प्राय: संसार की किसी भी बात को सम्मिलित किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि रियासत के किस कारण से नजरबंदी उचित समझी जायेगी। इसलिये मैंने सुझाव

किया है कि इस प्रकार की नजरबंदी का आदेश केवल रक्षा या परराष्ट्र विषयों के संबंध में ही दिया जाये, अन्य विषयों के संबंध में नहीं, क्योंकि संघ-सरकार की अधीनता में आने वाले ये अन्य विषय बहुत से होंगे।

कल हमें सूचित किया गया था कि वर्तमान रिपोर्ट की सूची 1 भारतीय शासन-कानून, 1935 में संघ की व्यवस्थापन सूची के ही समान है। वस्तुस्थिति यह है कि यद्यपि यह विशिष्ट मद सूची में नहीं है किन्तु रियासतों और रियासती प्रजा के लिये हानिकर बताते हुये उसमें संशोधन कर दिया गया है, क्योंकि उसकी शाखायें असीम क्षेत्र में फैल गयी हैं। महोदय, मुझे आशा है कि रिपोर्ट के रचयिता इस विशिष्ट मद पर पुनर्विचार करेंगे और मेरे सुझाव को ध्यान में रखते हुये उसमें संशोधन करेंगे।

श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय (ग्वालियर): श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अभी जिन मित्रों ने यह पेश किया है कि यह अमेंडमेंट हटा दिया जाये, मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कारण यह है कि उन्होंने यह दलील दी है कि यह रियासतों के हक में ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में यह दलील गलत है। क्योंकि हम एक फेडरेशन बनाने जा रहे हैं और रियासतों का भी उतना ही कर्तव्य है कि स्टेट की रक्षा हो। जब हम एक संयुक्त शासन-व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं, मजबूत स्टेट बनाने जा रहे हैं तो क्या वह चाहते हैं कि स्टेट के खिलाफ जो अपराध करने वाले हैं वह रियासतों में रहें और कानून से बचे रहें? तो जो-जो देशद्रोह या राजद्रोह करने वाले हैं चाहे वह प्रान्तों में हों या रियासतों में उन सबको रोकना होगा और सब जगह एक ही कानून होना चाहिये।

मैं एक रियासत की तरफ से आया हूं और मैं कहता हूं कि हम अधिकार बड़ी खुशी से फेडरेशन को देते हैं और हमको देना चाहिये। यह आइटम जरूर होना चाहिये।

***सर बी॰एल॰ मित्तर** (बड़ोदा): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री हिम्मतसिंह महेश्वरी द्वारा उपस्थित संशोधन का विरोध करता हूं। उन्होंने अपने संशोधन के समर्थन में जो कारण दिये हैं उनमें रियासतों को शेष भारत से पृथक करने की प्रवृत्ति दिखायी देती है। मद है: ''संघ की भूमि में राज्य के कारणों से नजरबंदी।'' यदि रियासतें भारत के स्वाधीन उपनिवेश की अंग हैं तो जिन कारणों से प्रेरित होकर भारत सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है वे शेष भारत की तरह रियासतों पर भी समान रूप से लागू हो सकते हैं। राज्य तब तक कोई कार्रवाई नहीं करता जब तक वह सम्पूर्ण उपनिवेश के हित में न हो। इस हालत में जबकि

[सर बी.एल. मित्तर]

ऐसी कार्रवाई के संबंध में विचार किया जा रहा हो जो सम्पूर्ण उपनिवेश के हित में आवश्यक मानी गयी हो, तो रियासतों तथा शेष भारत के मध्य कोई भेद क्यों किया जाये? मान लीजिये कि किसी रियासत में कोई गड़बड़ होने वाली है और सम्पूर्ण उपनिवेश के हित में उस व्यक्ति की नजरबंदी आवश्यक है और यदि केन्द्रीय धारासभा को ऐसी कार्रवाइयों को रोकने का अधिकार नहीं है तो नजरबंदी का उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं हृदय से चाहता हूं कि रियासतें पूर्ण रूप से संघ में सम्मिलित हो जायें ताकि उनके प्रति ठीक प्रान्तों की ही तरह व्यवहार हो सके। इस उद्देश्य के अतिरिक्त हमें कानूनी तथा वैधानिक रूप से व्यवहार करना चाहिये। मेरा विचार है कि रियासतें तीन व्यापक विषयों–रक्षा, परराष्ट्र संबंध और यातायात–की दृष्टि से संघ में सम्मिलित हुई हैं। श्री आयंगर ने परिषद को सूचित किया है कि रियासतों के प्रवेशपत्र में लगभग 18 या 20 मदें हैं और इन मदों के संबंध में ही वे संघ में सम्मिलित हुई हैं। मेरा निवेदन है कि वैधानिक दृष्टि से संघ का रियासतों पर प्रभुत्व उन विषयों के संबंध में ही होना चाहिये, जिनके विषय में उन्होंने संघ में सम्मिलित होना स्वीकार किया है। इसके आगे रियासतों में अधिकार-क्षेत्र का विस्तार अनुचित ही नहीं असंभव भी होगा। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, रियासतों को पूरी तरह सम्मिलित करना चाहिये, किन्तु यह सिर्फ बातचीत द्वारा और स्वेच्छापूर्वक ही किया जाये। रियासतों को संघ में एक-दूसरे की स्थिति को समझते हुये, पारस्परिक हितों का विचार करते हुये और सम्पूर्ण भारत की सुरक्षा और कल्याण के लिये पारस्परिक निर्भरता को ध्यान में रखते हुये ही सम्मिलित किया जाये। इसलिये मैं मद 4 के सब परिणामों को ध्यान में रखते हुये उसे स्वीकार करने में कठिनाई का अनुभव कर रहा हूं। इसलिये मैं वैधानिक विशेषज्ञों से, जिनकी संख्या परिषद में कम नहीं है, अनुरोध करना चाहता हूं कि वे तटस्थ होकर वैधानिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करें और उस पर अपना निर्णय देने की कृपा करें। कहा गया है कि यदि किसी रियासत में कहीं गड़बड़ हो तो संघ को उसका सामना करने के लिये पर्याप्त अधिकार होना चाहिये। किन्तु मेरा ख्याल है कि इससे वे शर्तें भंग होती हैं, जिनके आधार पर रियासतें संघ में सम्मिलित हुई हैं। यदि कार्रवाई रक्षा अथवा किसी ऐसे विषय के संबंध में की जाती हैं, जिनके संबंध में रियासतें संघ में सम्मिलित हुई हैं तो कोई कठिनाई

नहीं होनी चाहिये। परन्तु उस तरह कार्रवाई करना, जैसा सुझाया गया है, उचित चाहे जितना हो–वह होगा हमारे वैधानिक अधिकार के परे और वैधानिक सौजन्य के विरुद्ध ही। इसलिये मैं रिपोर्ट उपस्थित करने वाले माननीय सदस्य से इस पर गौर करने का अनुरोध करूंगा और मुझे विश्वास है कि परिषद् उस पर समुचित रूप से विचार करेगी।

इस मद के संबंध में जो अन्य कठिनाई मैंने अनुभव की है, वह बहुत छोटी सी है। यह इस मद के शब्द 'राज्य' (स्टेट) के संबंध में है। मद भारतीय शासन कानून की सूची 1 की मद 1 से ली गयी है और यह शब्द भी भारतीय शासन कानून से वैसे का वैसा ही ले लिया गया है। परन्तु इस रिपोर्ट में 'राज्य' शब्द का प्रयोग दूसरे और भिन्न अर्थ में भी किया गया है अर्थात् रियासत के अर्थ में और इस अवस्था में कुछ भ्रम उत्पन्न हो सकता है। कम से कम एक ही विशिष्ट शब्द का दो भिन्न अर्थों में प्रयोग अवांछनीय है और उससे बचना चाहिये। भले ही इसके परिणामस्वरूप कोई भ्रम न भी उत्पन्न हो, किन्तु मेरा सुझाव यह है कि मसविदा-समिति को किसी दूसरे उपयुक्त शब्द का चुनाव करना चाहिये ताकि राज्य शब्द के उस अर्थ से भ्रम न हो, जैसा कि वह रियासत में समझा जाता है। इसलिये मेरा विचार है कि सब कुछ मिलाकर इस मद पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाये और सुविधा के स्थान पर न्याय और साधारण बुद्धि का ध्यान रखा जाये।

***माननीय श्री हुसैन इमाम:** अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन का विरोध करता हूं, क्योंकि इसके द्वारा संघ की विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों के मध्य यह भेदभाव किया गया है कि संघ का अधिकार प्रान्तों में तो रहे किन्तु रियासतों में नहीं। इस प्रस्ताव से मैं कभी सहमत नहीं हो सकता, किन्तु मुझे आशंका है कि यह मद स्वयं उन आधारभूत अधिकारों के विरुद्ध है, जिन्हें प्राप्त करने की हमें आशा है। नजरबंदी का अर्थ यही है कि किसी व्यक्ति को मुकदमा चलाये बिना रोक रखा जाये। यदि आप किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाते हैं तो यह साधारण कानून के अंतर्गत आता है। इसके लिये किसी विशिष्ट कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे तो जान पड़ता है कि हम 1818 के रेगुलेशन 3 तथा ऐसे ही अन्य प्रतिबंधों को पुनरुज्जीवित करना चाहते हैं। निस्संदेह आधुनिक प्रजातंत्र में ऐसे अधिकार दिये जाते हैं, परन्तु वे उसी हालत में दिये जाते हैं जब देश की शान्ति और व्यवस्था के लिये संकट उत्पन्न हो गया हो। साधारण काल में इस प्रकार के अधिकार का दुरुपयोग किया जाता है। मानव-प्रकृति की विशेषताओं का ध्यान रखते हुये

[माननीय श्री हुसैन इमाम]

हमें कोई न कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिये, जिससे अधिकार का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। अधिकार के साथ ही मद होता है और यह कल्पना करना कठिन है कि शान्ति के समय अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। इसलिये मैं इसके रद्द किये जाने के स्थान पर इसके स्पष्टीकरण का सुझाव उपस्थित करता हूं जिससे इसके दुरुपयोग से बचने के लिये काफी सावधानी से काम लिया जा सके।

***श्री लक्ष्मीकान्त मैत्र** (पश्चिमी बंगाल: जनरल): अध्यक्ष महोदय, यह मद संख्या 4 ''संघ के प्रदेशों में राज्य के कारणों से नजरबंदी'' बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण सिद्धान्त निहित है। अभी हाल मेरे माननीय मित्र मि॰ हुसैन इमाम ने जो भाषण दिया है उसे मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। मैं उनसे कह सकता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं, जो पहले किसी भी रूप में नजरबंदी का विरोध करते रहे हैं। मि॰ हुसैन इमाम की आशंका ठीक ही है कि इस नियम का दुरुपयोग हो सकता है और इसे अत्याचार का एक साधन बनाया जा सकता है। क्या मैं उन्हें सूचित कर सकता हूं कि अब परिस्थिति बिल्कुल बदल गयी है। हमें अनुभव करना चाहिये कि हम एक नये राज्य की स्थापना कर रहे हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र होगा और उसकी केन्द्रीय सरकार के हाथ में ऐसे अधिकार अवश्य रहने चाहिये, जिनका उपयोग साधारण कारणों से नहीं बल्कि राज्य के कारणों से किया जा सके। उपस्थित संशोधन द्वारा मद 4 द्वारा दिये जाने वाले अधिकारों का क्षेत्र सीमित करने की चेष्टा की गयी है।

मि॰ हुसैन इमाम ने 1818 के प्रतिबंध 3 की चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि वे इस बात का अनुभव करेंगे कि जब अंग्रेज इस देश में पहले पहल आये थे और अपने शासन में स्थिरता लाने के लिये उत्सुक थे तो उन्हें अपने राज्य की प्रारंभिक अवस्था में कोई-न-कोई ऐसी कानूनी व्यवस्था करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे शरारतियों को राज्य के प्रति गड़बड़ करने से रोका जा सके, इसलिये इस देश में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों के दृष्टिकोण से यह आवश्यक समझा गया कि 1818 के प्रतिबंध के समान किसी उपाय द्वारा शरारतियों का मुकाबला करने के लिये सरकार को अधिकार दिया जाये। अब प्रश्न यह है कि उन्हें नये विधान के अनुसार स्थापित संघ-सरकार से अधिकार के दुरुपयोग की आशंका क्यों है? मैं जानता हूं कि मनुष्य द्वारा स्थापित कोई भी व्यवस्था पूर्ण नहीं है। परन्तु आपको केन्द्रीय सरकार को कुछ ऐसे अधिकार देने

ही पड़ेंगे, जिनका विशेष अवसर पर राज्य के हित के लिये प्रयोग किया जा सके। जैसी कि मेरे माननीय मित्र को आशंका है, यदि अधिकार का दुरुपयोग हुआ, क्योंकि ब्रिटिश शासन-काल में बाद में जाकर 1818 के रेगुलेशन का काफी दुरुपयोग हुआ—मैं ऐसे बहुत से आदमियों को जानता हूं जिन्हें इस रेगुलेशन के अंतर्गत देश निकाला दिया गया और नागरिक स्वतंत्रता का अपहरण किया गया—तो हमें स्मरण रखना चाहिये कि अब हमारा अपना राज्य है, हमारी अपनी सरकार है, जो जनता द्वारा चुनी हुई है और जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति भी है और इतना ही नहीं, हमें यह भी भूल न जाना चाहिये कि मौलिक अधिकारों में हमें कैद के छुटकारे का भी लाभ प्राप्त है। अब नागरिक स्वाधीनता के निर्ममता तथा असावधानी से कुचले जाने की आशंका नहीं है, जैसा कि अब तक ब्रिटिश शासन में होता रहा है। उदाहरण के लिये, मान लीजिये यदि संघ के किसी भाग में, जो प्रान्त नहीं बल्कि रियासत है, सरकार को कुछ व्यक्तियों द्वारा गड़बड़ मचाये जाने की संभावना की विश्वसनीय सूचना मिलती है—ऐसी गड़बड़ जिससे सम्पूर्ण राज्य को हानि ही नहीं पहुंच सकती बल्कि उसकी शांति के लिये संकट भी उपस्थित हो सकता है, तो क्या सरकार को इस विषय में केवल इसीलिये चुपचाप बैठे रहना चाहिये कि उस व्यक्ति ने अभी तक ऐसा कार्य नहीं किया है, जिससे वह कानून के चंगुल में आ सके? स्वयं राज्य के भीतर या उसके किसी भाग में ऐसे गुप्तचर हो सकते हैं, जिन्हें किसी विदेशी सरकार से रुपया मिल रहा हो अथवा उन्हें भारत में ही किसी प्रतिस्पर्द्धी राज्य से धन मिल रहा हो। इसलिये वर्तमान परिस्थिति में, जब हमारी भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक अन्य स्वाधीन राज्य है, यह और भी आवश्यक है कि हमारी संघ-सरकार को जरूरत पड़ने पर उपयोग के लिये यह अधिकार दिया जाये। यह भी संभव है कि एक रियासत में दूसरी के विरुद्ध षडयंत्र चल रहा हो, किन्तु इसे किसी प्रत्यक्ष कार्य द्वारा सिद्ध न किया जा सकता हो। ऐसी हालत में उस रियासत को किसी प्रकार कानून के चंगुल में नहीं फंसाया जा सकता। यदि भारत सरकार को विश्वस्त सूचना मिल चुकी है कि ऐसे कार्यों से भारतीय राज्य के दो विभिन्न भागों की शांति भंग हो सकती है तो निश्चय ही केन्द्रीय सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके शरारत रोकने का अधिकार होना चाहिये।

इसलिये यहां समस्या नागरिक स्वतंत्रता की न होकर राज्य के लिये महत्त्वपूर्ण कारणों की है और निश्चय ही राज्य के लिये महत्त्वपूर्ण कारण ही सर्वोपरि होते हैं। इसलिये मैं संशोधन का विरोध और मद 4 के संघीय विषयों की सूची में जोड़े जाने के मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***मि॰ तजम्मुल हुसैनः** अध्यक्ष महोदय, मैं मद 4 का समर्थन करता हूं और संशोधन का विरोध करता हूं। महोदय, मेरे मत में केन्द्रीय धारासभा को राजकीय कारणों से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह को नजरबंद करने का अधिकार होना चाहिये। महोदय, मान लीजिये कि कुछ व्यक्तियों का किसी विदेशी शक्ति से यह षडयंत्र चल रहा है कि वह विदेशी शक्ति भारत पर आक्रमण करे तो ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिये? ऐसी अवस्था में केन्द्रीय धारासभा को उन व्यक्तियों को नजरबंद करने तथा उन्हें अधिक शरारत से रोकने का अधिकार होना चाहिये और ऐसे मामले में खुली अदालत में कोई मामला भी न चलना चाहिये। खुली अदालती कार्रवाई में क्या होगा? राज्य की कितनी ही गुप्त बातें, जिनमें भारतीय रक्षा-व्यवस्था की कितनी ही कमजोरियां भी सम्मिलित होंगी, जाहिर हो सकती हैं। शत्रु को पता लग सकता है कि हमारा कौन स्थल कमजोर है। महोदय, कानून के दावपेंच आप जानते ही हैं। अभियुक्त अपराधी होने पर भी बरी हो सकते हैं। महोदय, इन थोड़े शब्दों द्वारा मैं समर्थन करता हूं कि मद 4 अपने मूल रूप में बनी रहे और संशोधन का विरोध किया जाये।

***श्री महबूब अली बेग बहादुर** (मद्रासः मुस्लिम)ः अध्यक्ष महोदय, इस विवाद के मध्य मेरे कुछ कहने का कारण यह बताना है कि सूची में इस मद को सम्मिलित करने का कारण यह है कि धारासभा इस मद के संबंध में कानून बना सके। यदि हम इस बात को समझ लें तो विवाद के बीच उठायी गयी आपत्तियों के लिये कोई स्थान नहीं है। परन्तु चूंकि नजरबंदी स्वाधीन देश तथा स्वाधीन नागरिकों के लिये घृणित वस्तु है, इसलिये कुछ माननीय सदस्यों ने यह चेतावनी दी है कि शासन-सत्ता ग्रहण करने वाली नयी सरकार अधिकार द्वारा मदोन्मत्त होकर और जोश में आकर जैसा कि मि॰ हुसैन इमाम ने कहा है, शक्ति कायम रखने के लिये सभी उपायों से काम ले सकती है और मुकदमा चलाये बिना स्वाधीनता न छीने जाने के जनता के मौलिक अधिकार को पद्दलित कर सकती है—खासकर ऐसी हालत में जबकि यह सरकार किसी एक दल की हो। इसलिये मेरे विचार में मि॰ हुसैन इमाम भी केन्द्रीय धारा-सभा को यह अधिकार देने के विरुद्ध नहीं थे और उन्होंने सिर्फ चेतावनी ही दी थी।

इस अवस्था में भी हमारे लिये यह अनुभव करना आवश्यक है कि केन्द्रीय धारासभा कानून बनाते समय सूची में सम्मिलित इस मद से अनुचित लाभ न उठाये। एक माननीय सदस्य ने मि॰ हुसैन इमाम के भाषण की इस संबंध में जो आलोचना की है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि, जैसाकि मैं कह चुका हूं, उन्होंने सिर्फ

चेतावनी ही दी थी। और यह भी कहना ठीक नहीं है कि बिना मुकदमा चलाये गिरफ्तार न किये जाने का जो अधिकार है उससे लोगों की अनावश्यक तथा नाजायज नजरबंदी से रक्षा हो सकेगी। यदि 1818 के रेगुलेशन जैसा कानून पास किया गया तो मुकदमा चलाये बिना गिरफ्तारी न होने के अधिकार के लिये क्या स्थान रह जायेगा? इसलिये इस अधिकार से हमें कुछ भी राहत नहीं मिल सकती। मेरा निवेदन है कि राज्य द्वारा कतिपय व्यक्तियों को युद्ध-काल तथा शान्ति भंग होने की कतिपय अवस्थाओं में नजरबंद करने का अधिकार तो अवश्य रहना चाहिये, परन्तु इतने पर भी कानून में यह व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये कि मौलिक अधिकारों तथा नागरिक स्वाधीनता की रक्षा के लिये उन व्यक्तियों पर उपयुक्त अदालत में मुकदमा चलाया जाये और यदि संभव हो तो उन्हें अपराधी या दोषहीन करार दिया जाये। इसलिये जहां मैं इस मद के सम्मिलित किये जाने के विरुद्ध नहीं हूं, वहां मैं मि॰ हुसैन इमाम के साथ यह चेतावनी देना चाहता हूं कि जब भी इस मद के संबंध में कोई कानून बनाया जाये तो ऐसा प्रबंध कर दिया जाये कि किसी स्वाधीन भारतीय की स्वतंत्रता का स्वाधीन भारत में अपहरण न किया जा सके।

***एक माननीय सदस्यः** अब यह प्रश्न किया जा सकता है।

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगरः** महोदय, मैं समझता हूं कि परिषद् के सम्मुख इस समय मुख्यतः उस संशोधन पर विवाद हो रहा है, जो मेरे माननीय मित्र श्री हिम्मतसिंह महेश्वरी ने उपस्थित किया है। इस संशोधन द्वारा उस अधिकार को सीमित करने का प्रयत्न किया गया है, जो इस मद के द्वारा रक्षा तथा परराष्ट्र से संबंध रखने वाले राज्य के कारणों से प्रांत में नजरबंदी के संबंध में देने का प्रस्ताव किया गया है। इस संशोधन तथा मूल मद के अंतर के दो पहलू हैं। पहला तो यह है कि नजरबंदी का क्षेत्र रक्षा तथा परराष्ट्र से संबंध रखने वाले कारणों तक सीमित रहे और दूसरा यह है कि संघ-धारा-सभा को केवल प्रांतों की सीमाओं के भीतर ही नजरबंदी के लिये कानून बनाने का अधिकार रहे। पहले मैं दूसरे पहलू को लेता हूं। मान लीजिये कि किसी व्यक्ति को राज्य के कारणों से नजरबंद करना आवश्यक हो जाता है और यदि वह व्यक्ति भागकर किसी रियासत की सीमा में चला जाता है तो क्या संशोधन उपस्थित करने वाले माननीय सदस्य की यह इच्छा है कि संघ उस व्यक्ति को वहां नजरबंद न करा सके या ब्रिटिश भारत में मंगवाकर वहां नजरबंद न करा सके? रियासतें संघ की भूमि के अंतर्गत हैं और यदि राज्य के कारणों से किसी व्यक्ति की नजरबंदी आवश्यक हो जाती है तो वह नजरबंदी संघ के किसी भाग या क्षेत्र में संभव होनी चाहिये।

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

महोदय, रियासतों को जिस भावना से प्रेरित होकर संघ में सम्मिलित होना चाहिये—यह संशोधन उसके अनुरूप नहीं है।

दूसरे, जहां तक रक्षा तथा परराष्ट्र संबंधी विषयों तक मद को सीमित करने का संबंध है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि हमें इन दोनों विषयों तक उसे सीमित करना चाहिए या नहीं? ऐसी बातों की कल्पना की जा सकती है, जिनका रक्षा या परराष्ट्र विषयों से संबंध न हो, किंतु फिर भी उनके कारण संघ की सरकार को खास व्यक्तियों की नजरबंदी की आवश्यकता पड़ सकती है। इस बात का संबंध राज्य के अस्तित्व से हो सकता है और फिर भी रक्षा या परराष्ट्र विषयों से वह असम्बद्ध हो सकती है। यदि हमें खतरनाक व्यक्तियों की गतिविधि पर कुछ समय के लिए नियंत्रण रखने और उन्हें उस समय तक नजरबंदी में रखने का अधिकार प्राप्त है जब तक कि वातावरण में सुधार हो जाये और उन्हें छोड़ा जा सके तो उन परिस्थितियों का अंत हो सकता है, जिनके कारण राज्य के अस्तित्व के लिए संकट उपस्थित हुआ है। यदि रक्षा तथा परराष्ट्र विषयों के संबंध में कुछ व्यक्तियों की नजरबंदी की आवश्यकता हो सकती है तो कुछ अन्य विषय भी हो सकते हैं, जिनके लिए नजरबंदी की आवश्यकता पड़ सकती है। महोदय, इसलिए इन दोनों ही आधारों पर मेरे विचार में परिषद् को इस संशोधन का समर्थन नहीं करना चाहिये।

माननीय सदस्यों ने कुछ अन्य बातें भी कही हैं। मि॰ नजीरुद्दीन अहमद ने हमें चेतावनी दी है कि हमें कोई ऐसा अधिकार ग्रहण न करना चाहिए, जो वैधानिक दृष्टि से अनुचित हो, क्योंकि रियासतें केवल कुछ ही विषयों के संबंध में संघ में सम्मिलित हुई हैं। महोदय, मुझे विश्वास है कि इस बात की सावधानी रखी जायेगी कि कोई अधिकार ग्रहण करते समय हम कहीं रियासतों के उस क्षेत्र का तो अतिक्रमण नहीं करते, जिसमें संघ में सम्मिलित होने के उपरांत रियासतों को कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। यह बात खंड का मसविदा बनाने की है और मैं मि॰ नजीरुद्दीन अहमद को विश्वास दिलाता हूं कि इस संबंध में उन्होंने जो कुछ कहा है उसका ध्यान रखा जायेगा।

अब मैं एक या दो उन बातों पर आता हूं, जो मेरे माननीय मित्र मि॰ हुसैन इमाम ने कही हैं। कहा गया है कि नजरबंदी एक ऐसी बात है, जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। मौलिक अधिकारों का समावेश हमारे विधान में किया जायेगा और

यदि हम संघीय सूची में नजरबंदी को सम्मिलित करते हैं तो इस मद के संबंध में कानून बनाते समय विधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के विरुद्ध न जाने की सावधानी रखी जायेगी। ऐसी अवस्था में हमारे द्वारा इस अधिकार के द्वारा बनाया गया कानून विधान में स्वीकृत मौलिक अधिकार के विरुद्ध नहीं जा सकता।

अब एक अन्य बात है। मेरा ख्याल है कि इसकी चर्चा मि॰ हुसैन इमाम ने न उठाकर मि॰ नजीरुद्दीन अहमद ने उठाई है। उन्होंने ''राज्य के कारणों'' शब्दों में ''राज्य'' (स्टेट) शब्द के प्रयोग का जिक्र किया है। माननीय सदस्य का ख्याल यह जान पड़ता है कि राज्य (स्टेट) शब्द से देशी राज्य या रियासत (इंडियन स्टेट) का भ्रम हो सकता है। मैं नहीं कह सकता कि मैं उनका दृष्टिकोण समझ सका या नहीं। परन्तु यदि मैं उनका दृष्टिकोण ठीक तरह समझ पाया हूं तो इसके उत्तर में मेरा सिर्फ यही कहना है कि ''राज्य'' शब्द का ''देशी राज्य'' या ''रियासत'' से कुछ भी संबंध नहीं है। दुर्भाग्यवश भारतीय शासन कानून में, जहां से यह शब्द लेकर हमने अपनी सूची में सम्मिलित किये हैं–जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है–स्टेट (State) शब्द बड़े (Capital) अक्षर से छपा हुआ है। मेरा ख्याल है कि यह कदाचित गलती थी। यदि हम बड़े (Capital) अक्षर की जगह छोटा (Small) अक्षर रखें तो राज्य के कारणों (Reasons of State) से वही भाव प्रकट होगा, जो होना चाहिये। इसलिए महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और परिषद् से अनुरोध करता हूं कि मद को उसके मूल रूप में ही स्वीकार कर लिया जाये।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि:

''मद 4 के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें:

'रक्षा तथा परराष्ट्र विषय संबंधी राज्य के कारणों के लिये किसी प्रांत में नजरबंदी'।''

प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं मूल प्रस्ताव परिषद् के सम्मुख उपस्थित करता हूं।

प्रश्न है कि:

''संघीय व्यवस्थापन सूची की सूची 1 की मद 4 को स्वीकार कर लिया जाये, जो निम्न प्रकार है:

'संघ की भूमि में राज्य के कारणों से नजरबंदी।' ''

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** मैं परिषद का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं

कि अभी हमने सिर्फ 4 मदें स्वीकार की हैं और इसमें साढ़े चार घंटे लग गये हैं। सूची में 84 मदें हैं। इस गति से मदों पर विचार करने में पांच दिन लग जायेंगे। मैं जल्दबाजी में मदें पास नहीं कराना चाहता, किंतु मैं सदस्यों से यथासंभव शीघ्रता करने का अनुरोध करता हूं।

मद 5

***श्री के० संतानम्:** सूची 1 के स्थान पर सूची 5 में अपने संशोधन को उपस्थित करने की अनुमति मैं चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** हां।

***श्री के० संतानम्:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''मद 5 में 'संघ की भूमि की रक्षा के लिये और संघ तथा उसकी प्रादेशिक इकाइयों के कानूनों को अमल में लाने के लिये' शब्दों को निकाल दिया जाये।''

मुझे परिषद् का अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों से मद का क्षेत्र अनावश्यक रूप से सीमित हो जाता है। संघ सभी उचित उद्देश्यों के लिए अपनी सेना का उपयोग करने में समर्थ होना चाहिए–इसमें ऐसे कार्यों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, जो उसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा करने को कहा जाये या जो समझौतों या संधियों के कारण करने पड़ें। इन शब्दों के निकाल देने से हमें अपनी स्थल, जल और वायु सेनाओं के उपयोग का अधिक स्वच्छंद क्षेत्र मिल जाता है। मुझे आशा है इसे स्वीकार कर लिया जायेगा।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव उपस्थित किया गया:

''मद 5 में 'संघ की भूमि की रक्षा के लिए और संघ तथा उसकी प्रादेशिक इकाइयों के कानूनों को अमल में लाने के लिए' शब्दों को निकाल दिया जाये।''

सर वी०टी० कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं सूची 1 में मद 5 के संबंध में 11 और 12 संख्या के संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''मद 5 में 'वायु सेना (एयर फोर्सेज)' शब्दों के आगे 'संघ के खर्चे पर रखी गयी (बोर्न ओन फेडरल ऐस्टिब्लिशमेंट्स)' शब्द जोड़ दिये जायें।''

यह एक नियम संबंधी संशोधन है।

मेरे दूसरे संशोधन का संबंध मद 5 के दूसरे भाग से है।

महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि:

''मद 5 में 'रियासतों द्वारा भरती की गयी और रखी गयी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति, संगठन और नियंत्रण' शब्दों के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें:

'रियासतों द्वारा भरती की गयी और रखी गयी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति तथा सेनाओं के उस भाग का संगठन और नियंत्रण, जो समझौते द्वारा संघ-सेनाओं के साथ काम करने के लिए निर्धारित किया गया हो।' ''

महोदय, इसके संबंध में आपको रिपोर्ट के पांचवें पैरा में चर्चा मिलेगी। इरादा सिर्फ यही है कि इन सेनाओं के एकीकरण और नियंत्रण के संबंध में जो अधिकार अभी हैं उन्हें कायम रखा जाये। हम इस विषय में सहमत हैं कि अभी जिन अधिकारों से काम लिया जा रहा है उनसे भावी संघ भी काम लेता रहे, किन्तु अपने संशोधन के वर्तमान रूप द्वारा हमने चालू स्थिति को कायम रखने का प्रयत्न किया है। यदि श्री गोपालस्वामी आयंगर इस पर फिर से विचार करें और देखें कि वर्तमान स्थिति आती है या नहीं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हम यह भी अनुभव करते हैं कि मूल मद की तुलना में संशोधन द्वारा वर्तमान स्थिति अधिक ठीक-ठीक प्रकट की गई है और हमें बड़ी प्रसन्नता होगी यदि श्री गोपालस्वामी आयंगर इस पर फिर से विचार करेंगे और ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे वर्तमान स्थिति ठीक तरह प्रकट होती हो।

***श्री एच॰वी॰ पातस्कर** (बम्बई: जनरल): मद 5 अपने वर्तमान रूप में स्थल, जल और वायु सेनाओं का उपयोग दो विशिष्ट उद्देश्यों तक सीमित करती है, जो निम्न है–''संघ की भूमि की रक्षा के लिए उनका उपयोग और संघ तथा उसकी प्रादेशिक इकाइयों के कानूनों को अमल में लाने के लिए उनका उपयोग....''

[श्री एच.वी. पातस्कर]

चूंकि सेनाओं का उपयोग इन दो उद्देश्यों तक सीमित कर दिया गया है इसलिए मैंने एक संशोधन की सूचना दी है कि उद्देश्यों का क्षेत्र निम्न शब्द जोड़कर बढ़ा दिया जाये:

''संघ की भूमि के भीतर शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से अन्य देशों के साथ होने वाले समझौतों और संधियों को अमल में लाने के लिए।''

इस संशोधन की सूचना देने का उद्देश्य क्षेत्र का विस्तार अधिक करना है, क्योंकि हमारा देश अन्य देशों से संधियां कर सकता है और इन सेनाओं का उपयोग इन संधियों को अमल में लाने के लिए किया जा सकता है। अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे मित्र श्री संतानम् एक संशोधन पहले ही उपस्थित कर चुके हैं, जिसका क्षेत्र मेरे संशोधन की तुलना में अधिक विस्तृत है। वे इन शब्दों को जिनमें सेनाओं के उपयोग की चर्चा की गई है, निकाल देना चाहते हैं। यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है, तो मेरे संशोधन के उपस्थित किये जाने में कोई तुक नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्री संतानम् का संशोधन स्वीकार या अस्वीकार हो जाने के बाद आप मुझे अपना संशोधन उपस्थित करने या न करने की अनुमति प्रदान करें।

***माननीय श्री एन० गोपालस्वामी आयंगर:** मैं सीधे ही बता देना चाहता हूं कि हम श्री संतानम् का संशोधन स्वीकार करना चाहते हैं।

***श्री एच०वी० पातस्कर:** इसलिए मुझे अपना संशोधन उपस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

***श्री एस०वी० कृष्णमूर्ति राव:** महोदय, मेरा संशोधन दो भागों में है कि:

'मद 5 में से 'तथा उसकी प्रादेशिक इकाइयों' शब्दों को निकाल दिया जाये और 'भरती की गयी और रखी गयी (raised and employed)' शब्दों के स्थान पर 'खर्च उठाकर रखी गयी (Maintained)' शब्द रखे जायें।''

संशोधन के पिछले अंश का महत्व केवल भाषा संबंधी है और उस पर मैं अधिक जोर नहीं देना चाहता। अब मैं संशोधन के पहले अंश को लेता हूं। भारतीय

संघ के दो भाग हैं–एक तो लोकतंत्री प्रांत, जिनके निर्वाचित प्रधान हैं, और रियासतें जिनमें निरंकुश राजाओं की सरकारें हैं। यदि संघ रियासतों के कानूनों को अमल में लाने के लिए अपनी सेना के उपयोग की जिम्मेदारी लेता है तो इसके लोकतंत्र का विनाश ही होता है। मेरे ख्याल में कोई लोकतंत्री सरकार ऐसा न होने देगी। इसे रोकने के लिए ही मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है। परन्तु श्री संतानम् के संशोधन से मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और यदि उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं अपने संशोधन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता।

(सर्वश्री वी॰आई॰ मुनिस्वामी पिल्ले और डी॰ गोविन्द बोस ने अपने संशोधन उपस्थित नहीं किये।)

***अध्यक्ष:** हमें इन्हीं संशोधनों की सूचना मिली है। अब मूल मद तथा संशोधनों पर बहस आरम्भ हो सकती है।

श्री रामसहाय (ग्वालियर): सभापति जी, मैं एक स्टेट के प्रतिनिधि के नाते इस अमेंडमेंट की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं, जो मि॰ वी॰जी॰ ने पेश किया है। मि॰ वी॰जी॰ ने जो अमेंडमेंट पेश किया है वह बजाहिर यह मालूम होता है कि कुछ फारसेज स्टेट के अधिकार में रहे और कुछ फोरसेज पर सेंटर का अधिकार रहे। लेकिन साथ ही साथ उसमें जिस भाषा का उपयोग किया गया है उससे यह नतीजा निकलता है कि उसमें एग्रीमेंट का लफ्ज डाल दिया गया है और उससे जो कुछ भी रही सही अहमियत थी वह भी खत्म हो जाती है। इसलिये मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि स्टेट में आर्मी की जो हालत रहती है, वह इतनी खराब रहती है कि वह किसी तरह भी डिफेंस के उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। जब कभी लाई जाती है तो कुछ ट्रेनिंग के बाद लाई जा सकती है। इसलिये उस पर पूरा अधिकार यूनियन का होना लाजिमी है। इसलिये मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं।

***श्री युधिष्ठिर मिश्र** (पूर्वी रियासत-समूह): अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री सन्तानम् ने सूची 1 की मद 5 के संबंध में जो संशोधन उपस्थित किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस संशोधन में जिन शब्दों को निकाल देने का अनुरोध किया गया है, उनसे प्रकट होता है कि संघ-सरकार की स्थल, जल और वायु सेनाओं का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा। यह उचित ही है कि सेनाओं को रखना और उन्हें काम में लाना भावी संघ-धारासभा के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत रहे और उस पर विधान-परिषद् कोई प्रतिबंध न लगाये। महोदय, मैं ''प्रादेशिक

[श्री युधिष्ठिर मिश्र]

इकाइयों के कानूनों के अमल में लाने'' शब्दों पर विशेष रूप से आपत्ति करता हूं। रियासतों के, जैसी वे अभी हैं, कानूनों को अमल में लाने के लिये यदि संघ की सेनाओं को काम में लाया गया तो यह बड़ी हानिकर बात होगी। प्रान्तों में कानूनों का निर्माण प्रांतीय धारासभाएं करेंगी, जिनमें जनता के ही प्रतिनिधि होंगे। महोदय, परन्तु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रियासतों के कानून बनाने में वहां की जनता का कुछ हाथ रहेगा। जब तक रियासतों की प्रजा को लोकतंत्री अधिकार प्राप्त नहीं होते, तब तक वह राजाओं की निरंकुशता से लड़ती रहेंगी और अपने आंदोलन को कुचलने के लिए बनाये गये कानूनों का भी सामना करती रहेंगी। कितनी ही रियासतों में विशेषकर उड़ीसा की रियासतों में सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर प्रजा के आंदोलनों का दमन करने के लिये विशेषाधिकार कानून पास किये गये हैं और यह प्रजा अपनी स्वाधीनता के लिये लड़ रही है। यदि संघ-सरकार की सेनाओं का प्रयोग उन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये लड़ने वाली रियासती प्रजा के विरुद्ध किया गया, जिनके लिये कांग्रेस तथा भारतीय जनता पिछले 27 वर्ष से लड़ती रही है, तो यह एक बड़ी दु:खद बात होगी। महोदय, इन शब्दों के द्वारा मैं श्री सन्तानम् द्वारा उपस्थित संशोधन का समर्थन करता हूं।

***श्री महबूब अली बेग साहब बहादुर:** अध्यक्ष महोदय, परिषद् को एक बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि माननीय सदस्य श्री पातस्कर ने जिस संशोधन की सूचना दी थी, उसे उन्होंने वास्तव में उपस्थित नहीं किया है। इसके विपरीत उन्होंने यह भी कहा है कि यदि श्री सन्तानम् का संशोधन पास हो गया तो वे अपना संशोधन उपस्थित नहीं करेंगे। मैं नहीं कह सकता कि महोदय, यह कार्य-विधि कहां तक नियमानुकूल है। जो कुछ भी हो, जिन सदस्यों का इरादा श्री पातस्कर के संशोधन के समर्थन करने का था उन्हें यह नहीं समझ में आता कि यह संशोधन श्री सन्तानम् के संशोधन के अंतर्गत कैसे आ जाता है। यह कहा जा सकता है कि श्री संतानम् के संशोधन के अनुसार ''रक्षा'' शब्द का महत्व इतना व्यापक है कि उसके अंतर्गत श्री पातस्कर के संशोधन में उल्लिखित विषय भी आ जाते हैं। श्री पातस्कर के संशोधन का तात्पर्य केवल यही है कि संघ की सेनाओं का उपयोग अन्य देशों के साथ हुई संधियों तथा समझौतों को अमल में कराने के लिये किया जा सके। सरकार अन्य देशों के साथ आक्रामक या रक्षात्मक संधियां कर सकती है। ऐसे विषयों के संबंध में इन संधियों को अमल में लाने के लिये सरकार को सेनाओं का उपयोग करने 100का अधिकार मिलना चाहिये। यदि भारतीय सेनाओं के ये कार्य ''रक्षा'' शब्द में सम्मिलित कर लिये

गये हैं, जो मेरे विचार में होना ही चाहिये, तो मेरे मत से श्री पातस्कर को अपना संशोधन उपस्थित करने की अनुमति मिलनी ही चाहिये। उन्होंने दूसरे जिस विषय की चर्चा की है वह संघ की सीमाओं के भीतर शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना है। यह भी कहा जा सकता है कि संघ के प्रदेशों की रक्षा के अंतर्गत संघ की सीमाओं के भीतर शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना भी आ जाता है। महोदय, यहां कुछ कठिनाई उठ खड़ी होती है। यदि संघ-सरकार किसी रियासत में सेना भेजना चाहती है तो धारा-सभा को ऐसा करने का अधिकार है या नहीं अर्थात् संघ-सरकार को रियासतों में शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये सेनायें भेजने का अधिकार है या नहीं? मान लीजिये कि किसी रियासत में कोई उपद्रव, विद्रोह या भारी गड़बड़ हो गई है तो ऐसी अवस्था में केन्द्रीय सरकार या संघ-सरकार को रियासतों में सेना भेजने का अधिकार होगा या नहीं? ये ऐसे उदारहण हैं, जो श्री पातस्कर के संशोधन के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, परिषद् को इस विषय में भारी कठिनाई है। प्रस्तावक महोदय कह चुके हैं कि यदि श्री संतानम् का संशोधन पास हो गया तो वे अपना संशोधन उपस्थित नहीं करेंगे। संशोधन को इस प्रकार शर्त के साथ उपस्थित करने का तरीका विचित्र है। कुछ भी हो, संशोधन के प्रस्तावक या उसके समर्थकों को श्री संतानम् का संशोधन पास होने के बाद भी यह संशोधन उपस्थित करने का अवसर मिलना चाहिये।

***श्री ए॰पी॰ पट्टानी** (पश्चिमी भारतीय रियासत समूह): अध्यक्ष महोदय, सर वी॰टी॰ कृष्णमाचार्य द्वारा उपस्थित किये गये संशोधन पर पर्याप्त विचार होने की आवश्यकता है—विशेषकर इसलिये और भी कि प्रस्तावक ने कहा है कि संशोधन का इरादा वर्तमान स्थिति को कायम रखने का है। जहां तक मेरी जानकारी है, रियासतों में तीन प्रकार के सैनिक हैं। पहले प्रकार के हैं फील्ड सर्विस टूप्स, दूसरे प्रकार के हैं सेंट्रल सर्विस टूप्स और तीसरे प्रकार के हैं इंटर्नल सेक्योरिटी टूप्स। मैं जानता हूं कि पिछले महायुद्ध से पूर्व कुछ रियासतों में ऐसी सेनाएं थीं, जिनका संबंध इंडियन स्टेट्स फोर्सेज योजना से नहीं था और न वे इस योजना के ही अंतर्गत आती थीं। यहां स्मरण रखना चाहिये, ऊपर जिन तीन वर्ग के सैनिकों का जिक्र किया गया है वे तीनों ही प्रकार के सैनिक इस योजना के अंतर्गत आ जाते हैं। परन्तु वे रियासतें भी, जो इंडियन स्टेट्स फोर्सेज योजना के अतिरिक्त सैन्यदल रखती थीं, वे इन अतिरिक्त सैनिकों के लिये हथियार तथा साज-सामान केन्द्रीय सरकार की मार्फत खरीदती थीं। महोदय, मैं परिषद् के आगे निवेदन करता

[श्री ए.पी. पट्टानी]

हूं कि फील्ड सर्विस ट्रूप्स, सेंट्रल सर्विस ट्रूप्स, इंटर्नल सेक्योरिटी ट्रूप्स या इन संगठनों के बाहर के और कोई भी सैनिक क्यों न हों–इन सभी सैनिकों की शक्ति और साज-सामान केन्द्रीय सरकार की अनुमति से रखा जाता था या निर्धारित किया जाता था। यदि मेरी व्याख्या ठीक है तो महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि समिति की सिफारिश ही ठीक है और प्रस्तावक महोदय भी यही दृष्टिकोण रखेंगे।

***श्री बी॰ पोकर साहब बहादुरः** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महबूब अली बेग साहब के इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं कि परिषद् को प्रस्ताव तथा संशोधनों के संबंध में वास्तविक स्थिति को समझने में बड़ी कठिनाई हो रही है। हम नहीं जान सकते कि परिषद् किन संशोधनों पर विचार करेगी। निस्संदेह परिषद् के सम्मुख प्रस्ताव उपस्थित हुआ। सर वी॰टी॰ कृष्णमाचार्य का संशोधन भी उपस्थित हुआ। श्री संतानम् का संशोधन भी उपस्थित हुआ। श्री पातस्कर का संशोधन भी परिषद् के सम्मुख है, यद्यपि उन्होंने इसे इस शर्त के साथ पेश किया है कि यदि श्री सन्तानम् का संशोधन पास हो गया तो वे अपना संशोधन उपस्थित न करेंगे। शर्त के साथ संशोधन उपस्थित करने की विधि नियमानुकूल है या नहीं–इसका निर्णय महोदय, आप ही कर सकते हैं।

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगरः** महोदय, मेरा ख्याल है कि श्री पातस्कर ने कहा था कि वे अपना संशोधन उपस्थित नहीं कर रहे हैं।

***अध्यक्षः** हां, उन्होंने संशोधन उपस्थित नहीं किया।

***श्री बी॰ पोकर साहब बहादुरः** मान लीजिये कि श्री संतानम् का संशोधन पास नहीं होता है–क्या तब भी यही माना जायेगा कि श्री पातस्कर ने अपना संशोधन उपस्थित नहीं किया?

***अध्यक्षः** कारण चाहे जो भी हो, यदि किसी सदस्य ने संशोधन उपस्थित करने की सूचना दी है, तो उन्हें वह प्रस्ताव उपस्थित न करने की भी स्वतंत्रता है। वे चाहें तो अपना संशोधन उपस्थित न करें–कारण चाहे जो भी हो। प्रस्तुत संशोधन श्री पातस्कर ने उपस्थित नहीं किया–चाहे ऐसा करने के लिये वे किसी भी कारण से प्रेरित हुये हों।

***श्री एच॰वी॰ पातस्करः** महोदय, मैं इस संशोधन के संबंध में–मेरा अपना नहीं–एक शब्द कहना चाहता हूं।

***अध्यक्षः** उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

***श्री बी॰ पोकर साहब बहादुरः** अब भी श्री पातस्कर ने निश्चित रूप से नहीं बताया है कि उन्होंने अपना संशोधन उपस्थित किया है या ऐसा करने से इन्कार किया है।

***अध्यक्षः** जैसा कि मैं कह चुका हूं, संशोधन उपस्थित नहीं किया गया है और वह परिषद् के सम्मुख उपस्थित नहीं है।

***श्री बी॰ पोकर साहब बहादुरः** यदि ऐसा है तो मेरा निवेदन है–यह एक ऐसा विषय है जिस पर आपको अपना निर्णय देना चाहिये–कि यदि किसी संशोधन की सूचना दी हुई है और जिन माननीय सदस्य ने सूचना दी है वे उस पर बोल चुके हैं और यह नहीं बताया है कि उस संशोधन को उन्होंने उपस्थित नहीं किया है या किसी शर्त के साथ उपस्थित किया है–जो भी कुछ हो–तो मैं आपसे निर्णय करने का अनुरोध करूंगा कि सभा का कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से उस संशोधन को उपस्थित कर सकता है या नहीं? चूंकि वर्तमान स्थिति अनिश्चित है, महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि संशोधन सभा के सामने उपस्थित न हो तो आप उस संशोधन को अपने संशोधन के रूप में उपस्थित करने की अनुमति प्रदान करें और यदि यह संशोधन पहले ही परिषद् के सामने उपस्थित हो तो मैं उसका समर्थन करना और समर्थन के लिये अपने कारण देना चाहता हूं।

***अध्यक्षः** मेरा ख्याल है कि नियमों के अनुसार कोई भी सदस्य अपने संशोधन की सूचना देकर बाद में किसी कारण से उसे उपस्थित न करने का निश्चय कर सकता है, किन्तु यदि उसने किसी संशोधन की सूचना नहीं दी है तो वह किसी दूसरे के संशोधन को अपने संशोधन के रूप में उपस्थित नहीं कर सकता। श्री पातस्कर का संशोधन उपस्थित ही नहीं किया गया और वह सभा के सम्मुख नहीं है।

***श्री बी॰ पोकर साहब बहादुरः** श्री पातस्कर ने कारण दिया था कि उनके संशोधन का विषय श्री सन्तानम् के संशोधन के अंतर्गत आ जाता है और इसी आधार पर उन्होंने अपना संशोधन उपस्थित करने से इन्कार किया है। महोदय, मेरा कहना है कि श्री सन्तानम् के संशोधन से उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती और इस कारण सम्पूर्ण खंड अपूर्ण रह जायेगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यह खण्ड

[श्री बी. पोकर साहब बहादुर]

ऐसा रहना चाहिये कि उसमें कम से कम श्री पातस्कर के संशोधन का उद्देश्य सम्मिलित रहे। इस देश में अभी या कुछ समय बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें भारत को पड़ोसी राज्यों से, विदेशी आक्रमण से बचने के लिये किसी न किसी प्रकार की संधि करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिये भारत को पाकिस्तान या अफगानिस्तान से रूस या किसी अन्य देश के आक्रमण से बचने के लिये रक्षात्मक संधि करनी पड़ सकती है। ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिये श्री पातस्कर के संशोधन की आवश्यकता थी, ताकि संघ इस अवस्था में आवश्यक कानून बना सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विषय में नियम संबंधी स्थिति कुछ भी क्यों न हो कि श्री पातस्कर का संशोधन परिषद् के सम्मुख है या नहीं, यह बहुत ही आवश्यक है कि इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को दिया जाये।

***श्री एच०वी० पातस्कर:** महोदय, सबसे पहले मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे नाम से जिस संशोधन की सूचना दी गई थी, उसे मैंने उपस्थित नहीं किया और इस कारण मेरे मित्र श्री संतानम् द्वारा उपस्थित किया गया वह संशोधन है, जिसका क्षेत्र अधिक व्यापक है। इस संबंध में मैं कुछ अधिक बात कहना चाहता हूं। महोदय, जिस खण्ड पर विवाद चल रहा है उसमें श्री सन्तानम् द्वारा उपस्थित संशोधन के कारण ''जल, स्थल तथा वायु सेनाओं के भरती करने, उन्हें ट्रेनिंग देने, उनका खर्च उठाने, उनका नियंत्रण करने और उनसे काम लेने'' शब्द बच गये हैं और ''संघ की भूमि की रक्षा के लिये और संघ तथा उसकी प्रादेशिक इकाइयों के कानूनों को अमल में लाने के लिये'' शब्दों को छोड़ दिया गया है। मद 5 में कहा गया था कि जल, स्थल तथा वायु सेनाएं उल्लिखित उद्देश्यों, अर्थात् ''संघ की भूमि की रक्षा के लिये और संघ तथा उसकी प्रादेशिक इकाइयों की रक्षा के लिये'' ही काम में लाई जायें। मैंने विचार किया कि उपर्युक्त सेनाओं का उपयोग उन उद्देश्यों के लिये भी किया जाये, जिनका उल्लेख मेरे संशोधन में किया गया है। यह संभव है कि हमारी अन्य देशों से संधियां हों और इस अवस्था में उन संधियों को अमल में लाने के लिये इन सेनाओं के उपयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। पहले जब खण्ड में केवल दो उद्देश्यों का ही उल्लेख किया गया था तो मैंने सोचा कि अन्य दोनों उद्देश्यों को भी, जो मेरी समझ में महत्वपूर्ण थे, शामिल कर लिया जाये, किन्तु जब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे मित्र श्री सन्तानम् ने एक ऐसा संशोधन उपस्थित किया है, जिसके कारण उद्देश्यों का उल्लेख करने का विचार त्याग कर संघ-सरकार तथा राज्य पर किसी भी उद्देश्य के लिये सेनाओं का उपयोग करने की बात छोड़ दी जायेगी, तो मेरे लिये यह

सोचना स्वाभाविक था कि श्री सन्तानम् के संशोधन का क्षेत्र अधिक व्यापक है और इसीलिये मेरा अपना संशोधन अनावश्यक है। अब मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूं, जिन्हें अभी तक कुछ संदेह बना हो कि ''जल, स्थल तथा वायु सेनाओं के भरती करने, उन्हें ट्रेनिंग देने, उनका खर्च उठाने, उनका नियंत्रण करने और उनसे काम लेने'' शब्दों का यही मतलब है कि उनका राज्य से संबंध रखने वाले प्रायः किसी भी कारण के लिये उपयोग किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो उद्देश्य के अधिक स्पष्टीकरण के लिये ''राज्य के कारणों के लिये'' शब्दों को और भी जोड़ा जा सकता है और यदि प्रस्तावक को आपत्ति न हो तो मैं श्री सन्तानम् के संशोधन में एक और संशोधन यह करना चाहता हूं कि छोड़े गये शब्दों के स्थान पर ''राज्य के कारणों के लिये'' शब्दों को जोड़ दिया जाये। यदि ये शब्द न भी रहें तब भी सेनाओं का काम में लाना राज्य के अधिकार के अंतर्गत रहेगा और ये सेनाएं उसीके निर्णय के अनुसार काम में लाई जायेंगी। इसलिये मेरा ख्याल है कि मैं जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपना संशोधन उपस्थित करना चाहता था उसका अब अस्तित्व नहीं रह गया है, क्योंकि अब राज्य किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सेना का उपयोग करने को स्वतंत्र है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि मैं अपना संशोधन उपस्थित नहीं करना चाहता।

***श्री एम०एस० अणे** (दक्षिणी रियासतें): अध्यक्ष महोदय, परिषद् दो संशोधनों पर विचार कर रही है। पहला श्री के० संतानम् का है और दूसरा माननीय सर वी०टी० कृष्णमाचार्य का है। विचारणीय मद का संबंध रक्षा से है, जो मेरे मत में अत्यंत महत्व की बात है और इसीलिये परिषद् को इस मद पर बड़ी सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिये। आप जो निर्णय करेंगे उन्हीं पर हमारी रक्षा और उसके उद्देश्य निर्भर रहेंगे। मद के प्रथम भाग का संबंध संघ की सेनाओं से है और दूसरे भाग का संबंध रियासतों में रखी जाने वाली सेनाओं से है। मैं इन दोनों प्रकार की सेनाओं के संबंध में पृथक् से विचार प्रकट करूंगा। पहले भाग में संघ की जल, स्थल और वायुसेनाओं की भरती, उनकी ट्रेनिंग, उनका खर्च उठाने और उन्हें काम में लाने का दावा केन्द्रीय सरकार ने किया है और दूसरे भाग में भी, जिसमें रियासतों में रखी गई सेना की शक्ति और संगठन का जिक्र है, केन्द्रीय या संघ-सरकार या केन्द्रीय सरकार की तरफ से अधिकार प्राप्त करने का दावा उपस्थित किया गया है। श्री सन्तानम् मद के उस भाग को निकाल देना चाहते हैं, जिसमें संघीय-सेनाओं के काम में लाने के उद्देश्यों का वर्णन है। श्री संतानम् के संशोधन के अनुसार संघ की सेनाएं जिन उद्देश्यों के लिये काम में लाई जायें उनके संबंध में कोई उल्लेख मद में नहीं होना चाहिये। मैं परिषद्

[श्री एम.एस. अणे]

का ध्यान इस बात की ओर विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि प्रादेशिक इकाइयों की दृष्टि से उसका असाधारण महत्व है। संघ की सेनाओं के उपयोग के लिये दो उद्देश्यों का निर्देश किया गया है। पहला उद्देश्य संघ की भूमि की रक्षा और दूसरा संघ तथा उसकी प्रादेशिक इकाइयों के कानूनों को अमल में लाना है। संघ की भूमि की रक्षा एक विवादहीन विषय है और राज्य की सेनाओं का इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उपयोग एक ऐसी बात है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है। दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार के लिये आप के द्वारा किये गये प्रबन्ध के अनुसार उस सेना का उपयोग करना आसान न होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस सेना का उपयोग आवश्यक है या नहीं–इस पर भी आपको विचार करना है। मान लीजिये कि संघ-राज्य के किसी कानून पर जनता अमल नहीं करती अथवा किसी प्रादेशिक इकाई की जनता उस इकाई के किसी कानून पर अमल नहीं करती, तो क्या संघ की सेना को अमन-कानून कायम करने में उन प्रादेशिक इकाइयों की सहायता करनी चाहिये और जनता से जबरन संघ तथा प्रादेशिक इकाइयों के कानूनों का पालन कराना चाहिये? जब आप इकाइयों को संघ में सम्मिलित करते हैं या रियासतों से ऐसा करने के लिये अनुरोध करते हैं, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ने पर उनमें अमन और कानून बनाये रखने में सहायता करने की जिम्मेदारी भी लेते हैं और यह जिम्मेदारी संघ को पूरी तरह उठानी भी चाहिये। इसलिये केन्द्रीय सरकार को संकट के समय इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपनी सेना के उपयोग का अधिकार होना चाहिये। मेरे विचार में उद्देश्य का निर्देशन आवश्यक है। अन्य उद्देश्य भी ऐसे हो सकते हैं, जिनकी पूर्ति के लिये संघ की सेनाओं के प्रयोग की आवश्यकता पड़ सकती है और यदि हम उन सभी उद्देश्यों का उल्लेख करना नहीं चाहते तो हम अंत में ये शब्द जोड़ सकते हैं–''राज्य के अन्य उन उद्देश्यों के लिये जिनका निर्णय राज्य स्वयं ही समय-समय पर करता रहे''। कैसे संकट के समय राज्य की सेनाओं का उपयोग किया जा सकेगा–इसका भी विशेष रूप से उल्लेख आवश्यक है। संघ की सेनायें सिर्फ संघ की भूमि की विदेशी आक्रमण से रक्षा के लिये ही नहीं होतीं, बल्कि संघ के भागों या प्रादेशिक इकाइयों की रक्षा के लिये भी होती हैं। मेरे मत में इस पिछले उद्देश्य के लिये भी राज्य की सेनाओं का उपयोग महत्वपूर्ण और आवश्यक है। हमारी नयी सरकार को जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ेगा उनमें यह आवश्यक है कि संघ-सरकार को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये भी कुछ अधिकार दिये जायें। जहां तक इस विषय का संबंध है, मेरे

विचार में श्री सन्तानम् और मेरे मध्य कोई मतभेद नहीं है। श्री सन्तानम् का कहना है कि जिन शब्दों में उद्देश्यों की व्याख्या की गई है उन्हें छोड़ देने से राज्य के अधिकार व्यापक हो जायेंगे। मुझे आशंका है कि ऐसी अवस्था में कहीं अधिकारों की संकुचित व्याख्या न की जाये, जिससे संकट के समय कठिनाइयां उठ खड़ी हों और रियासतों की सुरक्षा संकट में पड़ जाये। इसलिये यद्यपि मैं श्री सन्तानम् के संशोधन का विरोध नहीं करता, फिर भी मेरे ख्याल में उनके लिये अपने संशोधन पर अधिक जोर न देकर एक दूसरा संशोधन उपस्थित करना अधिक बुद्धिमानी होगी, जिसमें निम्न शब्द जोड़ दिये जायें–''अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिये भी जिन्हें राज्य उचित और ठीक समझे''। श्री सन्तानम् ने अपना संशोधन उपस्थित करते समय जिन उद्देश्यों को दृष्टि में रखा है वे सबके सब इस संशोधान के अंतर्गत आ जाते हैं। ये विचार मैं परिषद् तथा मसविदा-समिति द्वारा बाद में ध्यान देने के लिये उपस्थित कर रहा हूं।

अब मैं दूसरे संशोधन पर आता हूं, जिसे मेरे माननीय मित्र सर वी॰टी॰ कृष्णमाचार्य ने उपस्थित किया है। इस संबंध में मैं श्री गोपालस्वामी आयंगर से, जो इस कानून के संबंध में प्रारम्भिक कार्य कर रहे हैं, अनुरोध करता हूं, कि वे रियासतों के प्रवेश-पत्रों पर दृष्टि रखते हुये ऐसा संशोधन करें, जिससे रियासतों को असुविधा न हो। हमें भारत सरकार की तरफ से रियासतों को आश्वासन देना चाहिये कि यह सूची बनाते समय वह रियासतों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहती। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इन नियमों की छानबीन करके पता लगायें कि जैसी भाषा का प्रयोग किया गया है उससे कहीं रियासतों के सुरक्षित अधिकार-क्षेत्र का अतिक्रमण तो नहीं होता। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर बातचीत द्वारा उनके और रियासत के बी॰एल॰ मित्तर जैसे प्रतिनिधियों के मध्य कुछ फैसला होना चाहिये। उनका उद्देश्य भी संघ-सरकार के लिये एक ऐसी शक्तिशाली सेना का निर्माण करना है, जो अमन और कानून की रक्षा कर सके और देश के भीतर गड़बड़ होने से रोक सके। मुझे आशा है कि श्री गोपालस्वामी आयंगर मेरे इन सुझावों पर विचार करेंगे।

***श्री के॰टी॰एम॰ए॰ इब्राहीम साहब** (मद्रास: मुस्लिम): महोदय, इस अवसर पर मैं आपका ध्यान उस कठिनाई की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं, जो परिषद् के सदस्य कितने ही संशोधन वापस लेने के कारण अनुभव कर रहे हैं। कार्यक्रम में जो संशोधन रखे गये हैं उनका सिर्फ कागजी महत्त्व है। अचानक एक के बाद दूसरा सदस्य उठता है और उन संशोधनों को वापस लेता है। महोदय, यह स्पष्ट

[श्री के.टी.एम.ए. इब्राहीम साहब]

है कि संशोधनों को सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत निर्णय पर वापस नहीं लिया है, बल्कि यह निर्णय तो उस दल का है जिसके संशोधन की सूचना देने वाले सदस्य हैं। मैं परिषद् के सदस्यों और अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि संशोधन वापस लेने की सूचना वे परिषद् के अन्य सदस्यों तक पहुंचा दें, जिससे कि संशोधन वापस लेने पर होने वाली असुविधा से वे बच सकें। जब हम परिषद् में आते हैं तो हमें कार्यसूची में दिये गये सब संशोधनों के लिये तैयार होकर आना पड़ता है और उनका समर्थन या विरोध करने के लिये अपना मत स्थिर करना पड़ता है। अचानक हमें संशोधन वापस लेने से उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है और इस प्रकार हमारी कितनी ही शक्ति और समय का अपव्यय होता है। संबंधित दल द्वारा संशोधनों के संबंध में कोई निर्णय करते ही इस निर्णय की सूचना कार्यालय तक पहुंच जानी चाहिये, ताकि कार्यालय इसकी सूचना परिषद् के अन्य सदस्यों तक भेज सके कि अमुक संशोधन वापस ले लिये गये हैं। मुझे आशा है कि संबंधित दल सदस्यों की सुविधा का ख्याल करके संशोधनों के संबंध में अपने निश्चयों की सूचना समय रहते ही कार्यालय को दे देगा, ताकि हम जान सकें कि कौन से संशोधन उपस्थित किये जायेंगे और कौन से नहीं। यह बात मैं भली-भांति जानता हूं कि अध्यक्ष, परिषद् या खुद मैं किसी सदस्य को संशोधन वापस लेने की सूचना देने को विवश नहीं कर सकता। परन्तु यह ज्ञात होने पर कि संबंधित दल परिषद् की बैठक होने से काफी पहले ही अमुक संशोधनों के संबंध में किसी निश्चय पर पहुंच चुका है, तो यह सूचना मिलने पर कि अमुक संशोधन उपस्थित नहीं किये जायेंगे, सदस्यों को बड़ी सुविधा होगी। महोदय, मैं आपसे यह कार्यविधि जारी करने का अनुरोध करता हूं। सैकड़ों संशोधनों की सूचना दी जाती है, किन्तु उपस्थित बहुत कम किये जाते हैं। यह असुविधा और शक्ति का अपव्यय क्यों हो? महोदय, मैं आपसे और संबंधित दल से सदस्यों की असुविधा की ओर ध्यान देने की अपील करता हूं।

***अध्यक्ष:** मेरा ख्याल है कि प्रत्येक सदस्य का यह अधिकार है कि वह चाहे जिस संशोधन की सूचना दे और यदि कोई सदस्य अपने उस अधिकार से लाभ नहीं उठाता और अपने नाम से संशोधन की सूचना देने के स्थान पर किसी अन्य सदस्य के संशोधन पर निर्भर रहता है और यदि वह अन्य सदस्य अपना संशोधन उपस्थित न करे तो पहले सदस्य को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। यदि कुछ सदस्यों को अपने संशोधनों की सूचना देने के लिये समय दिया जाता है और वे उन्हें उपस्थित नहीं करते तो इसमें सुविधा या असुविधा का कोई प्रश्न

नहीं उठता। निस्संदेह, इस प्रकार संशोधन वापस लेने पर कुछ असुविधा अवश्य होती है, किन्तु किसी सदस्य द्वारा अपना संशोधन उपस्थित न करने पर दूसरे सदस्य को शिकायत नहीं होनी चाहिये। यदि कोई माननीय सदस्य किसी विषय को महत्त्वपूर्ण समझ कर संशोधन उपस्थित करने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं तो उन्हें समय के भीतर ऐसे संशोधन की सूचना खुद देनी चाहिये। यदि कोई सदस्य अपना संशोधन उपस्थित नहीं करना चाहते तो मैं उनसे ऐसा न करने के लिये कह सकता हूं, किन्तु मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य अन्य सदस्यों की सुविधा का ख्याल रखेंगे।

अब श्री गोपालस्वामी बहस का उत्तर दे सकते हैं।

***माननीय श्री एन० गोपालस्वामी आयंगर:** महोदय, जहां तक इस विवाद को मैं समझ पाया हूं, इस मद के संबंध में निर्णय करने के लिये केवल दो संशोधन ही हमारे सामने हैं। पहला श्री सन्तानम् द्वारा उपस्थित किया गया है। महोदय, इसे मैं एक शाब्दिक परिवर्तन के साथ स्वीकार किये लेता हूं। उनके द्वारा संशोधित रूप में मद 5 का पहला भाग इस प्रकार होगा:

''दि रेजिंग, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एंड कंट्रोल आफ नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्सेज एंड दि एम्प्लायमेंट देयरआफ।''

इस वाक्य के शेष शब्दों को छोड़ दिया जायेगा। मेरे ख्याल में ''एण्ड देयर एम्प्लायमेंट'' कहना और 'देयरआफ'' शब्द को निकाल देना अधिक उत्तम होगा। बस यही है।

***श्री के० सन्तानम्:** मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

***माननीय श्री एन० गोपालस्वामी आयंगर:** जहां तक श्री अणे द्वारा उठाई गई बात का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सेनायें जिन उद्देश्यों के लिये काम में लाई जा सकें, उनका निर्देशन आवश्यक है। परन्तु साथ ही उन्होंने यह बात भी स्वीकार कर ली है कि इस प्रकार के निर्देशन से सेनाओं का प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों तक सीमित हो सकता है। सब कुछ मिलाकर मेरा ख्याल है कि मूल मसविदे में जो उद्देश्य बताये गये हैं, वही उचित हैं और यदि हम उन्हें छोड़ दें तो भी ''देयर एम्प्लायमेंट'' शब्दों के कारण वे तथा अन्य कितने ही उद्देश्यों को, जिनके लिये सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग किया जा सकता है, सम्मिलित किया जा सकता है। महोदय, मेरे विचार से सब कुछ मिलाकर मद के पहले भाग के बाद के शब्दों को छोड़ना ही उत्तम रहेगा, जैसा सुझाव श्री सन्तानम् ने

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

उपस्थित किया है। महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन सर वी॰टी॰ कृष्णमाचार्य ने उपस्थित किया है। इस संशोधन के समर्थकों के उद्देश्य में तथा मसविदा बनाने वाली समिति ने मूल मद के पिछले भाग का मसविदा इस रूप में बनाते समय अपने सामने जो उद्देश्य रखा था उसमें कुछ भी भेद नहीं है। समिति का इरादा रिपोर्ट के पांचवें पैरा में स्पष्ट कर दिया गया है। इसमें कहा गया है:

''हमने संघ की मदों में निम्न मद को भी सम्मिलित कर लिया है– 'रियासतों में भरती की गई और रखी गई सशस्त्र सेनाओं की शक्ति, संगठन और नियंत्रण।' रियासती सेनाओं के एकीकरण तथा नियंत्रण के लिए अभी जो अधिकार काम में लाये जाते हैं, हमारा इरादा उन्हें बनाये रखने का है।''

संशोधन का उद्देश्य यह बताना है कि केन्द्र तथा रियासतों की सशस्त्र सेनाओं के मध्य उनकी विभिन्न कक्षाओं के अनुसार कितना संबंध रहेगा। इन कक्षाओं का उल्लेख मेरे माननीय मित्र श्री पट्टानी कर चुके हैं और समिति ने वस्तुस्थिति को जिस रूप में समझा है उसी रूप में इसे इस विशिष्ट मद में रखा है। इस संशोधन के प्रस्तावक का विचार है कि संशोधन के शब्द मूल मद की अपेक्षा समिति के इरादे को अधिक सच्चाई के साथ प्रकट करते हैं, किन्तु वे नहीं कह सकते कि उनका यह मत निस्संदेह ठीक है। उन्होंने कहा है कि मैं इस विषय की छानबीन करके इस बात का भी प्रबन्ध कर दूं कि समिति का जो इरादा वास्तव में है, वही इसके द्वारा प्रकट हो। इसलिये इस संशोधन के प्रस्तावक को मैं यह आश्वासन देता हूं कि मैं ऐसा अवश्य करूंगा और यदि आवश्यक होगा तो विधान की शब्दावली में ऐसा हेरफेर कर दूंगा, जिससे रिपोर्ट के पैराग्राफ 5 में प्रकट किया गया इरादा पूरा होता हो। महोदय, मुझे आशा है कि इस आश्वासन के कारण प्रस्तावक महोदय अपने संशोधन को आगे न बढ़ायेंगे।

***सर वी॰टी॰ कृष्णमाचारी:** मैं अपने संशोधन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता।

***अध्यक्ष:** अब हमारे सामने सिर्फ श्री सन्तानम् का संशोधन है, जिसे मद के प्रस्तावक ने स्वीकार कर लिया है। इसमें सिर्फ एक शाब्दिक परिवर्तन किया गया है।

***अध्यक्ष:** सर वी॰टी॰ कृष्णमाचार्य का एक शाब्दिक संशोधन और है कि मद 5 में 'वायु सेना' (एयर फोर्सेज) शब्दों के आगे 'संघ के खर्च पर रखी गई' शब्द और जोड़ दिये जायें।

***सर वी॰टी॰ कृष्णमाचारी:** इस संशोधन को मैं दूसरे संशोधन के कारण वापस लेता हूं।

***अध्यक्ष:** इसे वापस ले लिया गया है और दूसरे संशोधन को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। अब हमारे सामने श्री संतानम् द्वारा संशोधित रूप में मूल संशोधन है और इस पर मत लिये जाते हैं।

श्री संतानम् द्वारा संशोधित रूप में मद स्वीकार कर ली गई।

मद 6

***अध्यक्ष:** अब हम मद 6 को उठाते हैं।

***सर वी॰टी॰ कृष्णमाचारी:** श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के संशोधन के कारण मैं अपना संशोधन आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मैं श्री अल्लादी कृष्णास्वामी के संशोधन का समर्थन करता हूं। इसलिए मैं अपना संशोधन उपस्थित नहीं करता हूं।

***अध्यक्ष:** श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, आप को मद 6 पर अपना संशोधन उपस्थित करना है।

***श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर** (मद्रास: जनरल): मैंने जिस संशोधन की सूचना दी है वह इस प्रकार है:

''मद 6 के स्थान पर निम्न शब्दों को रखा जाये:

'ऐसे उद्योग, जो रक्षा या युद्ध चलाने के उद्देश्य से आवश्यक समझे जायें और जिनके संबंध में संघ के कानून द्वारा ऐसी घोषणा की गई हो।' ''

मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ क्षेत्रों में यह सुझाव उपस्थित किया गया है कि संशोधन के पहले भाग के परिणामस्वरूप यह बात अदालती कार्यवाही का विषय बन सकती है कि उनका उद्योग रक्षा के लिये आवश्यक है या नहीं और इसलिए मेरे संशोधन में यह शाब्दिक परिवर्तन करने का सुझाव उपस्थित किया गया है कि ऐसे व्यवसायों की घोषणा की जाये जो संघ के कानून द्वारा रक्षा या

[श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर]

युद्ध-संचालन के लिये आवश्यक समझे गये हों। यदि परिषद् को इस शाब्दिक परिवर्तन पर कोई आपत्ति न हो तो मैं उस शाब्दिक परिवर्तन के साथ अपना संशोधन उपस्थित करूंगा कि ''ऐसे व्यवसायों की घोषणा की जाये, जो संघ के कानून द्वारा रक्षा या युद्ध-संचालन के लिये आवश्यक समझे गये हों।''

इस संशोधन को उपस्थित करते समय मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस मद के साथ यह इरादा नहीं है कि व्यवसायों को नियंत्रण करने का प्रांतीय सरकारों का जो कर्तव्य है, उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाये। यह उस नियम का अपवाद माना जायेगा और इसीलिए ''रक्षा-उद्योग'' शब्दों का प्रयोग किया गया है। परन्तु ''रक्षा-उद्योग'' शब्दों के संबंध में यह उचित ही कहा गया है कि आधुनिक युद्धों के समय प्रायः किसी भी उद्योग को युद्ध-उद्योग कहा जा सकता है और इस बहाने से संघ-धारा-सभा प्रांतीय स्वाधीनता तथा प्रांतीय शासन में हस्तक्षेप कर सकती है। इसलिए ''रक्षा-उद्योगों'' की कोई न कोई व्याख्या आवश्यक है और इस संशोधन द्वारा यह व्याख्या जोड़ दी गई है। निस्संदेह इसके द्वारा संघ-धारा-सभा को संघ-कानून द्वारा ''रक्षा-उद्योग'' घोषित करने का अधिकार दिया गया है। फिर कहा जा सकता है कि इससे क्या अंतर पड़ा? उत्तर यही है कि संघ-धारा-सभा का ध्यान विशेष रूप से इस बात की तरफ आकृष्ट किया गया है कि उसे घोषणा करनी चाहिये कि अमुक उद्योग रक्षा की दृष्टि से आवश्यक है या नहीं। यदि प्रस्तावित कानून के अनुचित रूप से उपयोग की संभावना होगी तो धारा-सभा में जनता के प्रतिनिधि कानून बनाने पर आपत्ति करेंगे और मत प्रकट करेंगे कि इससे उद्देश्य अर्थात् ''संघ की रक्षा'' की सिद्धि नहीं होती और यह भी कि यह तो एक ऐसा उद्देश्य है, जिसका उल्लेख भूमिका में किया गया है, किंतु वास्तविक उपखंडों से उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए, धारा-सभा के सदस्य इस संबंध में यह आपत्ति करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे कि इससे रक्षा के उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि संशोधन के कारण जहां रक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में बाधा न पड़ेगी वहां प्रांतों की यह आशंका भी मिट जायेगी कि कहीं केन्द्रीय धारा-सभा प्रांतों में वहां के उद्योगों के प्रोत्साहन के प्रांतीय अधिकार-क्षेत्र में बाधा न पहुंचाये।

***श्री हिम्मतसिंह के॰ महेश्वरी:** अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम का संशोधन इस प्रकार है:

''मद 6 में 'रक्षा-उद्योगों' के स्थान पर 'आग्नेय अस्त्र, परमाणु बम और गोली-गोले बनाने के उद्योग' शब्दों को रखा जाये।''

इस मद के अस्पष्ट होने की बात मान ली गई है। सबसे पहली बात तो यह स्पष्ट नहीं है कि इस कक्षा के अंतर्गत कौन उद्योग आते हैं। कपड़ा और चीनी की मिलें, वनस्पति तेल की मिलें, सीमेंट तथा लोहे व इस्पात के कारखाने, अनाज की खेती–इन सबका उद्देश्य रक्षा हो सकता है। यदि इरादा इनमें से कुछ या सबको मद 6 के अंतर्गत सम्मिलित करने का हो तो कितना ही भ्रम फैल सकता है। प्रस्तुत सूची की 1935 के भारतीय शासन-कानून से तुलना करने से स्पष्ट हो जाता है कि कानून के निर्माता इस मद को अपनी सूची में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं समझते थे। अब भी किसी को स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है कि किन उद्योगों को सम्मिलित किया जायेगा। श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का जो संशोधन अभी उपस्थित किया गया है, उससे भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। उन्होंने जो संशोधन उपस्थित किया है उसके बावजूद भी स्थिति अस्पष्ट है। इसीलिए महोदय, मैं चाहता हूं कि परिषद् को कम से कम यह बताया जाये कि इस मद में किन उद्योगों को सम्मिलित किया जायेगा। यह स्पष्टीकरण होने पर ही मैं विचार करूंगा कि मुझे अपना संशोधन वापस लेना चाहिये या नहीं।

***अध्यक्षः** श्री माधवराव, मैं एक संशोधन को छोड़ गया हूं, जिसकी सूचना आपने दी थी।

***श्री एन॰ माधव राव** (पूर्वी रियासत समूह संख्या 2)**:** महोदय, श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर द्वारा संशोधन उपस्थित किये जाने के कारण मैं अपना संशोधन उपस्थित नहीं करना चाहता।

***अध्यक्षः** यही संशोधन हैं, जिनकी सूचना मुझे मिली है। अब संशोधनों तथा मद पर बहस की जा सकती है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** महोदय, मैं श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के संशोधन का समर्थन और हिम्मतसिंह महेश्वरी के संशोधन का विरोध करता हूं।

मेरा विचार है कि इस मद की आवश्यकता पर श्री गोपालस्वामी आयंगर पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं। मेरा अपना तो ख्याल यह था कि रक्षा संबंधी मद 1 ही पर्याप्त थी। परन्तु, जैसाकि वे बता चुके हैं, इससे मुकदमेबाजी और गड़बड़ हो सकती है और भ्रम से बचने के लिए विभिन्न उपमदों का समावेश किया गया है। परन्तु मद के वर्तमान रूप में भी ''रक्षा-उद्योगों'' के वास्तविक अर्थ के संबंध में अस्पष्टतायें रह गई हैं। श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने अपने संशोधन के द्वारा इस भ्रम को दूर करने का प्रयत्न किया है। उद्देश्य की व्याख्या करने

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

के लिए संघ के कानून की आवश्यकता अनुभव की गई है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जब संघ-कानून व्याख्या करने का प्रयत्न करेगा, तो इस विषय में बड़ी सावधानी से छानबीन की जायेगी कि उद्देश्य की सीमाओं के भीतर किन उद्योगों का समावेश करना उचित है। परन्तु, इससे अधिक स्पष्टीकरण असंभव है, क्योंकि ऐसा करने से मद के क्षेत्र में अनावश्यक रूप से कमी होने की आशंका है। चूंकि आश्वासन प्रथम संशोधन के प्रस्तावक की तरफ से दिया गया है, इसलिए परिषद् के नेता की तरफ से उसे रिपोर्ट उपस्थित करने वाले माननीय सदस्य का आश्वासन नहीं माना जा सकता। अस्तु, मैं चाहता हूं कि रिपोर्ट उपस्थित करने वाले माननीय सदस्य यह आश्वासन दें कि कानून बनाते समय रक्षा के उद्देश्य से बाहर जाने का प्रयत्न नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा किया जाये तो फिर कोई गड़बड़ होने की संभावना नहीं है।

जहां तक पिछले संशोधन का संबंध है, मेरी आशंका है कि उससे मद का क्षेत्र अनावश्यक रूप से सीमित हो जाता है। रक्षा ऐसा महान् और महत्त्वपूर्ण विषय है कि उसकी आवश्यकताओं के मुकाबले में व्यक्तिगत—और यहां तक कि राष्ट्रीय सुविधाओं का बलिदान हो जाना चाहिये और इन परिस्थितियों में संघ-धारा-सभा को उसके विषय में पूर्ण अधिकार मिलना चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जनता की सुविधा का भी पर्याप्त ख्याल रखा जायेगा। इन शब्दों के साथ, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मैं पहले संशोधन का समर्थन और दूसरे का विरोध करता हूं।

***श्री महबूब अली बेग साहब बहादुर:** अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के संशोधन को अनावश्यक समझता हूं। रक्षा-उद्योगों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव ठीक है। वह पर्याप्त है। यदि श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो एक कठिनाई उठ खड़ी होती है। यदि हम स्मरण रखते हैं कि इस सूची में उल्लिखित मदें वही मदें हैं, जिनके संबंध में धारा-सभा को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है तो ऐसी अवस्था में आपके लिए इस मद में यह बात सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है कि उद्योगों को संघ-कानून द्वारा रक्षा के लिए आवश्यक घोषित किया जाये। इस विशिष्ट मद में इस बात को सम्मिलित करना अनावश्यक है कि कुछ उद्योगों को संघ-कानून द्वारा रक्षा के लिए आवश्यक घोषित किया जाये। इस सूची में कतिपय मदों को सम्मिलित करने से क्या यह तात्पर्य है कि इन मदों के संबंध में धारा-सभा को

कानून बनाने का अधिकार है? ऐसी परिस्थितियों में इस मद में यह उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है कि कुछ मदों को संघ-कानून के अंतर्गत रक्षा-उद्योग घोषित कर दिया जाये? यदि हम इस संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो इस मद तथा अन्य मदों की शब्दावली में भेद के कारण अन्य मदों को लेकर इस मद के संबंध में कितनी ही कठिनाइयां उठ सकती हैं।

यह खंड ''संघ-कानून द्वारा घोषित'' अनावश्यक है। इस मद को उसके मूल रूप में ही छोड़ देना चाहिए। यदि आप इस मद में कतिपय उद्योगों का उल्लेख करना चाहते हैं तो मैं श्री हिम्मतसिंह के॰ महेश्वरी के संशोधन को तरजीह दूंगा, जिसमें कहा गया है कि धारा-सभा को अमुक उद्योगों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार रहेगा—यद्यपि मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि उल्लिखित मदों का विस्तार नहीं किया जा सकता। मैं मद को मूल रूप में पसंद करता हूं। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का संशोधन सिर्फ अनावश्यक और व्यर्थ ही नहीं है, बल्कि इसमें अन्य मदों के संबंध में अनावश्यक कठिनाइयां भी उठ खड़ी होने की संभावना है। यदि परिषद् चाहती है कि धारा-सभा जिन मदों के संबंध में कानून बना सके उन्हें गिना दिया जाये तो उन सभी मदों का बताया जाना अच्छा होगा। इसलिए मैं दोनों ही संशोधनों का विरोध करता हूं और मूल मद का ही समर्थन करता हूं।

***श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** भारतीय शासन-कानून और वर्तमान कानून दोनों ही में आपको ''संघ-कानून द्वारा घोषित'' शब्द कितनी मदों में मिलेंगे और ऐसे स्थलों पर सूची में मद को सम्मिलित करने के लिए इस प्रकार की घोषणा आवश्यक शर्त बना दी गई है। संघ के कानून द्वारा रक्षा या युद्ध-संचालन के लिए आवश्यक घोषित किये जाने का यही उद्देश्य है।

***श्री महबूब अली बेग साहब बहादुर:** इससे वहां सम्मिलित किया जाना उचित सिद्ध नहीं होता।

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगर:** महोदय, मि॰ महबूबअली बेग ने सूची की मूल मद का जिस प्रकार समर्थन किया है, उसके लिए साधारण रूप से मैं उनका अनुग्रहीत होता, किंतु मुझे राजी कर लिया गया है कि संघ-धारा-सभा को दिये जाने वाले अधिकार के वर्णन के लिए मूल मद की अपेक्षा श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का संशोधन अधिक उत्तम है। इसका कारण श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने स्वयं बताया है। अब मैं श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के संशोधन में दिये गये इस वर्णन की तरफ परिषद् का ध्यान आकृष्ट करना

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

चाहता हूं। उद्योगों के विषय का संबंध मुख्यतः प्रांतों से है। यदि हम इस विषय से एक अंश पृथक् कर लेते हैं, जिसके संबंध में संघ-धारा-सभा को कानून बनाने का अधिकार रहेगा—तो वांछनीय है कि उस अंश की समुचित रूप से व्याख्या कर दी जाये और अधिकार केवल उन्हीं उद्योगों के संबंध में ग्रहण किया जाए, जिन्हें प्रांतों के अधिकार-क्षेत्र से निकालकर केन्द्र के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है। यदि हम मद को मूल रूप में छोड़ दें तो यह निर्णय देना अदालतों के अधिकार-क्षेत्र की बात होगी कि अमुक उद्योग रक्षा-उद्योग है या नहीं, किंतु यदि हम श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के संशोधन की भाषा स्वीकार करते हैं तो संघ-धारा-सभा ही पहले यह निर्णय कर लेगी कि अमुक उद्योग को रक्षा के उद्देश्य से संघ की अधीनता में करना आवश्यक है या नहीं। जब धारा-सभा एक बार यह निर्णय कर लेगी तो कोई अदालत यह कहकर हस्तक्षेप न कर सकेगी कि अमुक उद्योग रक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है। इसीलिए इस संशोधन को स्वीकार करने का निश्चय किया गया है।

जहां तक मेरे माननीय मित्र श्री हिम्मतसिंह के॰ महेश्वरी द्वारा उपस्थित संशोधन का संबंध है, मि॰ नजीरुद्दीन अहमद पहले ही इस विषय की चर्चा कर चुके हैं। हम रक्षा-उद्योगों को आग्नेय अस्त्र, परमाणु बम तथा गोली-गोलों के निर्माण तक सीमित नहीं कर सकते। यहां तक कि शांति के समय भी संघ को कितने ही उद्योगों के संबंध में अपने अधिकार का उपयोग करना पड़ता है। यदि सशस्त्र सेनाओं के लिए अन्न, वस्त्र तथा साज-सामान उपलब्ध करने के उद्देश्य से कतिपय उद्योगों पर संघ का अधिकार स्थापित करना आवश्यक हो जाता है—चाहे वे उद्योग संघ के स्वत्व में हों या उसके नियंत्रण में रहें—तो संघ धारा-सभा द्वारा उपयुक्त कार्रवाई किये जाने में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए मैं श्री हिम्मतसिंह महेश्वरी के संशोधन का विरोध करता हूं और श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का संशोधन स्वीकार करता हूं।

***अध्यक्षः** मैं पहले श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के संशोधन पर मत लेता हूं।

प्रश्न यह है कि मद 6 के स्थान पर निम्न शब्दों को रखा जाये:

''ऐसे उद्योग जो रक्षा या युद्ध चलाने के उद्देश्य से आवश्यक समझे जायें और जिनके संबंध में संघ के कानून द्वारा ऐसी घोषणा की गई हो।''

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***श्री हिम्मतसिंह के. महेश्वरी:** मैं यह मतलब लगाता हूं कि श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के संशोधन का उद्देश्य निर्णय को स्थगित करना है और इसीलिए मुझे अपना संशोधन वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

***अध्यक्ष:** श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के संशोधन ने मूल मद का स्थान ग्रहण कर लिया है और इसलिए मैं इसे फिर परिषद् के आगे उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि:

''मूल मद श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के संशोधन द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार कर ली जाये।''

मद 6 संशोधित रूप में स्वीकार कर ली गई।

मद 7

***अध्यक्ष:** मद 7 के लिए सिर्फ एक ही संशोधन है। यह श्री हिम्मतसिंह महेश्वरी का है और सूची 6 में उसकी मद 4 है।

***श्री हिम्मतसिंह के० महेश्वरी:** अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन को उपस्थित करने की मैं अनुमति चाहता हूं वह इस प्रकार है कि:

मद 7 में अंत की ओर निम्न शब्दों को जोड़ दिया जाये:

''संघ में सम्मिलित होने वाली रियासत के निर्मित कार्यों के अतिरिक्त।''

यह मद अभी इस प्रकार है–''नौसेना, स्थल सेना तथा वायु सेना के निमित्त कार्य।'' महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, संघ में सम्मिलित होने वाली कुछ रियासतों ने स्थल सेना तथा वायु सेना की इमारतें आदि अपने खर्च से बनवाई हैं। मैं समझता हूं कि संघ का इरादा इन्हें अपने अधिकार में करने का नहीं है। इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करने वालों से आश्वासन मिल सकता है और मैं उनका मत भी जानना चाहता हूं। इसीलिए इस समय मैं कुछ नहीं कह रहा हूं।

***माननीय श्री एन० गोपालस्वामी आयंगर:** महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री हिम्मतसिंह ने जो अंतिम बात कही है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

कि इस मद को मूल रूप में सूची में सम्मिलित कर लेने का यह मतलब नहीं है कि किसी रियासत ने अपने यहां यदि कोई सेना की इमारत आदि बनवाई है तो संघ उससे इस अधिकार को छीन लेगा। परन्तु साथ ही मैं उन्हें यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि देश की रक्षा के विचार से यदि संघ यह फैसला करे कि उसे रियासतों द्वारा तैयार कराई गई ऐसी इमारतों आदि पर अधिकार कर लेना चाहिए या उन पर नियंत्रण कर लेना चाहिए तो ऐसा करने के लिए वह स्वतंत्र रहेगा। मेरे ख्याल में स्वयं श्री हिम्मतसिंह भी संघ के इस अधिकार के संबंध में कोई संदेह नहीं उठायेंगे कि देश की रक्षा के विचार से वे इस प्रश्न का फैसला करें कि स्थल, जल और वायु सेनाओं की किन इमारतों आदि पर संघ का अधिकार रहना चाहिए और किन्हें स्वयं रियासतों के लिए छोड़ा जा सकता है। जो भी कानून बनाया जायेगा–उसमें इन बातों को तय किया जा सकता है। परन्तु अधिकार तो वास्तव में संघ का ही रहेगा।

***श्री हिम्मतसिंह के॰ महेश्वरी:** ऊपर किये गये स्पष्टीकरण के कारण मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(परिषद् की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।)

***अध्यक्ष:** प्रश्न है कि मद 7 को मंजूर कर लिया जाये।

मद स्वीकार कर ली गयी।

मद 8

***श्री आर॰के॰ सिधवा** (मध्य प्रांत और बरार: जनरल): महोदय, परिशिष्ट की सूची 1 में मद 8 इस प्रकार है–''छावनी-क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत शासन, छावनी अधिकारियों की नियुक्ति और उनका अधिकार संबंधी प्रबंध, इन क्षेत्रों में रहन-सहन की व्यवस्था और इन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण''। यदि आप भारतीय शासन-कानून, 1935 (पृष्ठ 299, मद 2) पर दृष्टि डालेंगे तो प्रकट होगा कि उसके भी शब्द प्राय: यही हैं। उसमें कहा गया है कि:

''छावनी-क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन–किन्तु रियासतों के छावनी क्षेत्र इसमें सम्मिलित न होंगे–इन क्षेत्रों में रहन-सहन की व्यवस्था..... ..... आदि।''

इस सूची में शब्द प्रायः भारतीय शासन-कानून के ही हैं। मेरा संशोधन इस प्रकार है कि:

''मद 8 में 'छावनी-क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन, छावनी-अधिकारियों की नियुक्ति और उनका अधिकार संबंधी प्रबंध' शब्दों के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें:

'केवल उस क्षेत्र का नियंत्रण, जिसमें सेना रखी गई हो या शस्त्रागार, (निर्माण क्षेत्रों में) कारखाना और गोली-गोले रखे गये हों। ''

मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है उससे स्पष्ट हो गया होगा कि मैं स्थानीय स्वायत्त शासन क्षेत्र और छावनी-क्षेत्र में भेद करता हूं। पिछले बीस वर्ष से इस विषय पर विवाद छिड़ा हुआ है और भारत में विभिन्न अधिकारी—यहां मेरा मतलब एक तरफ स्थानीय तथा छावनी वाले अधिकारियों से और दूसरी तरफ प्रांतीय सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार से है—इस प्रश्न पर विचार करते रहे हैं। युद्ध से कुछ ही पहले भारत सरकार को इस गुत्थी को सुलझाने के विचार से हस्तक्षेप करना पड़ा। परन्तु इसी बीच युद्ध छिड़ गया और बात जहां की तहां रह गई। जो लोग छावनियों में गये हैं और जिन्होंने इस विषय का अध्ययन किया है वे इसे सहज ही में समझ लेंगे। फिर भी मैं माननीय परिषद् से अनुरोध करूंगा कि इस मद का जिस पेचीदी समस्या से संबंध है, उसे समझने के लिए मेरे कुछ शब्द सुनने का धैर्य रखें।

भारत में कितनी ही छावनियां हैं, जिनमें सैनिक रखे जाते हैं। इस छावनी के क्षेत्र और सैनिकों को रखने के क्षेत्र के मध्य में कुछ गैर सैनिक जनता रहती है। इस गैर सैनिक जनता पर भी छावनी-कानून लागू होता है। जहां तक सैनिकों के क्षेत्र का संबंध है, छावनी के अधिकारी उसे अधिक से अधिक साफ रखते हैं और सैनिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। परन्तु डेढ़ मील आगे जहां पर गैर सैनिक जनता रहती है, ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जातीं। पीने के पानी का अभाव होता है, जल की निकासी का प्रबंध त्रुटिपूर्ण होता है और अस्पताल तथा कुओं का अभाव होता है। कहीं-कहीं तो यह क्षेत्र एक मील से लेकर 8 और 9 मील तक होता है और सीमाओं का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि कहीं-कहीं यह क्षेत्र स्थानीय अधिकारियों की—मेरा मतलब प्रांतीय सरकार से है—देख-रेख में आ जाता है और सिर्फ 25 गज आगे ही छावनी का क्षेत्र रहता है। इस प्रश्न को लेकर स्थानीय अधिकारियों, केन्द्रीय अधिकारियों और प्रांतीय

[श्री आर.के. सिधवा]

अधिकारियों के मध्य गुत्थी उत्पन्न हो गई है, क्योंकि छावनी-क्षेत्र के बाहर गैर सैनिक जनता को जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उनसे छावनी-क्षेत्र में उन्हें वंचित रखा जाता है। कारण यह है, जैसा कि मैं कह भी चुका हूं। छावनी-कानून से ही छावनियों का प्रबंध होता है। इस कानून के अंतर्गत छावनी के प्रबंध के लिए सैन्य अधिकारी कुछ व्यक्तियों को नामजद कर देते हैं और कुछ अन्य व्यक्ति शेष जनता की तरफ से रख लिये जाते हैं। गैर सैनिक स्थान जमींदार आदि लोगों से भरे जाते हैं और शेष स्थानों पर सैन्य अफसर होते हैं। परिणाम यह होता है कि छावनी के भीतर गैर सैनिक जनता को उसकी सुविधाओं तथा अधिकारों से वंचित रखा जाता है, जब कि सिर्फ 25 गज की दूरी पर अन्य जनता अपनी म्युनिसिपैलिटियों तथा स्थानीय संस्थाओं की तरफ से उन अधिकारों तथा सुविधाओं का उपभोग करती है।

***श्री एम०एस० अणे:** माननीय सदस्य अभी कितना समय लेंगे?

***श्री आर०के० सिधवा:** महोदय, मुझे काफी समय लगेगा। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर मैं सिर्फ अपने विचार प्रकट नहीं कर रहा हूं, बल्कि जिस पर वर्ष-प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्थानीय संस्था, संघ.....।

***अध्यक्ष:** इस हालत में हम अपनी बहस कल जारी रख सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

माननीय सदस्य: कल नहीं बल्कि सोमवार।

***अध्यक्ष:** हां, सोमवार। परिषद् सोमवार, 10 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

परिषद्, सोमवार, 25 अगस्त, 1947 को 10 बजे प्रात:काल तक के लिए स्थगित हुई।